

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04032023**-**244154 CG-DL-E-04032023-244154

> असाधारण EXTRAORDINARY

> भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 154] No. 154] नई दिल्ली, शुक्रवार, मार्च 3, 2023/फाल्गुन 12, 1944 NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 3, 2023/PHALGUNA 12, 1944

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

अधिसूचना

नई दिल्ली 3 मार्च, 2023

सं.बीईई/एसएंडएल/यूएचडी/02/2022-23.—प्रारूप विनियम अर्थात्, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेवल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 58 की उप-धारा (1) के अधीन अपेक्षित अनुसार अधिसूचना सं. बीईई/एसएंडएल/अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन/02/2022-23 द्वारा प्रकाशित किए गए थे, जिसमें इससे प्रभावित होने की संभावना वाले व्यक्तियों से राजपत्र में उक्त अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिनों की विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर आपत्तियां या सुझाव आमंत्रित किए गए थे;

और उक्त प्रारूप विनियमों की प्रतियां जनता को 01 अगस्त, 2022 को उपलब्ध करा दी गई थीं:

और उक्त प्रारूप विनियमों के संबंध में उपर्युक्त अवधि के भीतर सुझाव प्राप्त हुए हैं;

और इस संबंध में प्राप्त सुझावों पर विचार कर लिया गया है;

अव, इसलिए, ब्यूरो, केन्द्रीय सरकार के पूर्व अनुमोदन से, ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) की धारा 13 की उप-धारा (2) के खंड (ढ) और धारा 14 के खंड (घ) के साथ पठित धारा 58 की उप-धारा (2) के खंड (i) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्: -

- **1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ-** (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजनों के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 है।
 - (2) वे राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

1462 GI/2023 (1)

- 2. परिभाषा- (1) इन विनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो, -
 - (क) "अधिनियम" से ऊर्जा संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 52) अभिप्रेत है;
 - (ख) "प्ररूप" से इन विनियमों के साथ संलग्न प्ररूप अभिप्रेत है;
 - (ग) "लेबल" से अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर चिपकाई गई अथवा संप्रदर्शित लिखित, मुद्रित, चिह्नित, मुहर लगी या ग्राफिक सामग्री अभिप्रेत है;
 - (घ) "लेबल की अवधि" से धारा 14 के खंड (क) के अधीन केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक के अधीन तुलनात्मक बिजली की उपभोग की वैधता अवधि अभिप्रेत है और यदि तुलनात्मक बिजली उपभोग की वैधता अवधि की समाप्ति अवधि अधिसूचित नहीं की जाती है तो इसे तब तक वैध माना जाएगा जब तक कि केंद्रीय सरकार द्वारा इसके लिए नए मान अधिसूचित नहीं किए जाते हैं;
 - (ङ) "मॉडल या मॉडलों का परिवार" से एक विशेष ब्रांड के मॉडल या मॉडल की श्रेणी अभिप्रेत है, जिसके लिए परीक्षण रिपोर्ट का एक सेट लागू होता है और जहां प्रत्येक मॉडल में समान प्रकार की भौतिक विशेषताएं, बिजली की वार्षिक उपभोग, ऊर्जा दक्षता स्तर और निष्पादन विशेषताएं हैं;
 - (च) "अनुज्ञापत्रधारी" से अभिप्रेत ऐसे व्यक्ति या ऐसा अभिकरण से है जिसे विनियम 7 के अधीन लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा दी गई है;
 - (छ) "स्टार रेटिंग या स्टार लेवल" से अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेवल पर केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानक के लेवल पर संप्रदर्शित किया गया ऊर्जा दक्षता का ग्रेड अभिप्रेत है, जिसमें अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन की तुलनात्मक बिजली उपभोग को दर्शाया जाता है;
 - (ज) लेबल लगे अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के संबंध में "व्यापारी अथवा विक्रेता" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो ऐसे अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का विक्रय अथवा वितरण करता है और इसमें दुकानदार, व्यापारी, विनिर्माता और प्रशीतकों पर लेबल चिपकाने के लिए अनुज्ञा प्राप्त अनुज्ञापत्रधारी सम्मिलित हैं।
 - (i) "अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन" से अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन की अधिसूचना 14(ख) के खंड (क) में निर्दिष्ट एक उपकरण अभिप्रेत है;
- (2) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं है, किंतु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं।
- 3. लेबल पर संप्रदर्शित किया जाने वाला विवरण (1) प्रत्येक अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर चिपकाए जाने वाले लेबल पर निम्नलिखित विवरण संप्रदर्शित किया जाएगा, अर्थात्-
 - (क) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का प्रतीक चिह्न;
 - (ख) उपस्कर का प्रकार;
 - (ग) ब्रांड;
 - (घ) मॉडल संख्यांक और निर्माण या आयात का वर्ष;
 - (ङ) स्क्रीन का आकार सेंटीमीटर में (स्क्रीन का आकार पूरी स्क्रीन पर सेंटीमीटर में तिरछे मापा जाता है);
 - (च) वार्षिक ऊर्जा उपभोग प्रति वर्ष कि.वॉट घंटा में;
 - (छ) विशिष्ट श्रृंखलाकोड
 - (ज) स्टार का स्तर; और
 - (झ) लेबल अवधि:
- (2) लेबल का डिजाइन, रंग, आकार और विवरण इन विनियमों के साथ उपाबद्ध अनुसूची में यथाविनिर्दिष्ट होगा।
- **4. लेबल संप्रदर्शित करने की समय-सीमा -** (1) विनियम 3 में विनिर्दिष्ट सभी विशिष्टियों वाला एक लेबल प्रत्येक अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर इन विनियमों के लागू होने की तारीख से छह मास की अविध के भीतर संप्रदर्शित किया जाएगा।

- (2) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानकों के आरंभ होने पर, प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी या व्यापारी या विक्रेता -
 - (क) पिछले ऊर्जा उपभोग मानकों के साथ अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का उत्पादन नहीं करेगा।
 - (ख) पुनरीक्षित ऊर्जा उपभोग मानकों के साथ सामंजस्य स्थापित करते हुए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर पुनरीक्षित स्टार स्तर और पुनरीक्षित लेबल अवधि संप्रदर्शित करेगा तथा अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का विनिर्माण वर्ष भी संप्रदर्शित करेगा।
 - (ग) इन विनियमों के अधीन डीलरों, खुदरा विक्रेताओं के बारे में जागरूकता, उनकी जानकारी के साथ-साथ उपभोक्ताओं की जानकारी के लिए उठाए गए सभी कदम सुनियोजित तथा पूर्वविहित होंगे।
- 5. लेबल संप्रदर्शित करने की रीति (1) लेबल को यूनिट के सामने के हिस्से पर चिपकाया जाएगा और यह विनियम 3 के उप-विनियम (2) में विनिर्दिष्ट अनुसार आसानी से दिखाई देना चाहिए तथा अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि लेबल प्रत्येक रजिस्ट्रीकृत यूनिट या मॉडल पर पहचान के उद्देश्य के लिए बिक्री स्थल या हायर स्थल पर दिखाई दे और लेबल को यूनिट या मॉडल के पैकेजिंग बॉक्स के बाहरी हिस्से पर भी मुद्रित किया जाएगा या चिपकाया जाएगा।
- (2) संप्रदर्शित न की जाने वाली यूनिटों के लिए, लेबल को अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के आवरण के वाहरी हिस्से से जोड़ा जा सकता है और यूनिट को उसकी पैकेजिंग से निकाले जाने पर लेबल को यूनिट से जोड़ा जा सकता है या लेबल को ग्राहक या उपयोगकर्ता को दिए गए दस्तावेज़ के एक भाग के रूप में सम्मिलित किया जा सकता है।
- **6. लेबल संप्रदर्शित करने की अनुज्ञा -** (1) ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा प्राप्त लिए बिना अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर कोई स्टार लेबल नहीं लगाया जाएगा।
- (2) कंपनी रजिस्ट्रीकरण ब्यूरो की अनुज्ञा प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, प्रत्येक ब्रांड को अलग से रजिस्ट्रीकृत किया जाएगा जैसा कि प्ररूप 1-(क) में विनिर्दिष्ट है, जिसके साथ इलेक्ट्रॉनिक भुगतान प्रणाली द्वारा देय एक लाख रुपए का लेबल सुरक्षा फीस संलग्नहोगा। परंतु कि लघु उद्योग के मामले में, लेबल सुरक्षा फीस केवल पच्चीस हजार रुपए होगा।
- (3) मॉडल रजिस्ट्रीकरण उप-विनियम (2) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी के प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नलिखित संलग्न होगा -
- (क) प्रति मॉडल दो हजार रुपए का आवेदन फीस, जो इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा देय होगा; और
- (ख) भुगतान के किसी भी स्वीकार्य इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो नई दिल्ली के पक्ष में देय एक लाख रुपए का लेबल प्रतिभृति फीस।
- (ग) प्ररूप 1-(ख) में विनिर्दिष्ट दस्तावेज।
- 7. अनुज्ञा प्रदान करना (1) विनियम 6 के अधीन कोई आवेदन प्राप्त होने पर और इस बात से संतुष्ट होने पर कि सभी अपेक्षाओं का अनुपालन किया गया है, ब्यूरो विनियम 8 में विनिर्दिष्ट निबंधन एवं शर्तों के अधीन मानकों और लेबलिंग अर्थात्: घरेलू उपकरणों में स्टार लेबलिंग का प्रसार पर अपने मैनुअल में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर, -
- (क) प्ररूप 2-(क) या इलेक्ट्रॉनिक रूप में ब्रांड को रजिस्ट्रीकृत कर सकता है; और
- (ख) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर प्ररूप 2-(ख) मेंइलेक्ट्रॉनिक रूप में लेबल लगाने की अनुज्ञा दे सकता है।
- (2) ब्यूरो प्ररूप 3 में एक रजिस्टर रखेगा और उसमें अनुज्ञापत्रधारी का नाम दर्ज करेगा।
- (3) उप-विनियम (1) के अधीन दी गई अनुज्ञा उस अवधि तक के लिए वैध होगी जिसके लिए धारा 14 के खंड(क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसुचित अनुसार ऊर्जा उपभोग मानक द्वारा विनिर्दिष्ट स्टार स्तर लागु है।
- (4) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए आवेदन इसकी समाप्ति के एक मास पहले किया जाना चाहिए और इसके फीस के रूप में एक हजार रुपए इलेक्ट्रॉनिक मोड में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, नई दिल्ली के पक्ष में देय होगा। परंत् स्टार रेटिंग योजना के विस्तार के मामले में, एक हजार रुपए के उक्त नवीनीकरण फीस से छूट दी जाएगी।
- (5) वैधता अवधि समाप्त होने के पश्चात् किसी भी आवेदन का नवीकरण नहीं किया जाएगा और इस मामले में अनुज्ञापत्रधारी को नया आवेदन पत्र देना होगा।

- (6) उप विनियम (4) के अधीन पुनर्विलोकन के लिए आवेदन की प्राप्ति पर और समाधान हो जाने के पश्चात् कि सभी अपेक्षाओं के अनुपालन के साथ, ब्यूरो ऐसी प्राप्ति की तारीख से एक मास की अविध के भीतर प्ररूप 2 में अनुज्ञा को नवीकरण कर सकेगा।
- (7) जिस तारीख से पुनरीक्षित स्टार स्तर लागू होता है, उस तारीख से अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के विद्यमान मॉडल पर लेबल लगाना जारी रखने की अनुज्ञा मांगने वाला अनुज्ञापत्रधारी प्ररूप 4 के अनुसार एक घोषणा प्रस्तुत करेगा।
- (8) यदि अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के नए मॉडल को पुनरीक्षित स्टार स्तर के साथ सिंक्रोनाइज़ करते हुए लॉन्च किया जाना है, तो अनुज्ञापत्रधारी को नए सिरे से लेबल लगाने की अनुज्ञा लेनी होगी, और ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन पुनरीक्षित स्टार स्तर लागू होने से छह मास पहले किया जाएगा।
- 8. लेबल पर विवरण संप्रदर्शित करने के लिए निबंधन एवं शर्तें प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता लेबल पर विवरण संप्रदर्शित करने में निम्नलिखित निवंधन एवं शर्तों का पालन करेंगे, अर्थात्:-
 - (क) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लिए ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप होगा;
 - (ख) लेबल केवल अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ऐसे मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
 - (ग) लेबल को अनुज्ञापत्रधारी के खर्च पर अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर मुद्रित और चिपकाया जाएगा;
 - (घ) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता यह सुनिश्चित करेंगे कि अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;
 - (ङ) अनुज्ञापत्रधारी विनियम 9में विविनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान करेगा;
 - (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले मास के भीतर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपस्कर के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए अर्जित लेबलिंग फीस का विवरण होगा;
 - (छ) अनुज्ञापत्रधारी प्रत्येक वर्ष अप्रैल के 30वं दिन तकअपने लेबल वाले उत्पादों को बेचने के लिए नियुक्त अधिकृत वितरक, डीलरों, खुदरा विक्रेताओं, विक्रेताओं की एक अद्यतन सूची ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा;
 - (ज) अनुज्ञापत्रधारी, व्यापारी और विक्रेता ऐसी अन्य निबंधन एवं शर्तों का पालन करेंगे जिन्हें ब्यूरो विनिर्दिष्ट कर सकता है, जिसमें मानकों और लेबलिंग अर्थात्: घरेलू उपस्कर में स्टार लेबलिंग का प्रसार पर ब्यूरो की नियमावली, अर्थात् दिशा में सम्मिलित है।
- **9. लेबल फीस-** (1) प्रत्येक अनुज्ञापत्रधारी को अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर चिपकाए गए प्रत्येक लेबल के लिए ब्यूरो को तीस रुपए का लेबल फीस देना होगा;
 - (2) उप-विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट लेबल फीस का भुगतान प्रत्येक वित्तीय वर्ष के समाप्त होने की तारीख से एक मास के भीतर वार्षिक रूप से किया जाएगा:

परंतु इस प्रकार विनिर्दिष्ट अविध के भीतर लेबल फीस का भुगतान करने में असफल होने पर, ब्यूरो विनियम 6 के उप विनियम (3) के खंड (ख) के अधीन जमा की गई लेबल सुरक्षा रकम से दस प्रतिशत प्रति वर्ष ब्याज के साथ देय रकम की वसूली कर सकता है और यदि जमा करने की अंतिम तारीख के एक वर्ष के भीतर पूर्ण लेबलिंग फीस की वसूली नहीं की जाती है और ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को दिए गए सभी लेबलों को रद्द कर सकता है और एक चूककर्ता के रूप में समाचार-पत्रों में अनुज्ञापत्रधारी का नाम प्रकाशित कर सकता है।

- **10. लेबल सुरक्षा जमा रकमकी वापसी-** विनियम 9 के उप-विनियम (2) के उपबंधों के अधीन, अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का विनिर्माण बंद करने पर अनुज्ञापत्रधारी लेबल सुरक्षा फीस की वापसी का पात्र होगा।
- 11. ब्यूरो द्वारा सत्यापन (1) ब्यूरो या तो स्वत: संज्ञान लेते हुए या उसके द्वारा प्राप्त शिकायत पर यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन कर सकता है कि अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलिविजन,स्टार स्तर और उसके लेबल पर संप्रदर्शित अन्य विशिष्टियों के अनुरूप है और यह कि यह अनुज्ञा की अन्य निबंधन एवं शर्तों का अनुपालन करता है।
- (2) सत्यापन के प्रयोजन के लिए, नमूने को ब्यूरो या उसकी नामनिर्दिष्ट अधिकरण द्वारा,जैसा वह उचित समझे,विनिर्माण सुविधा केंद्र, गोदाम या खुदरा विक्री केंद्र से यादृच्छिक रूप से लिया जाएगा।
- (3) जहां, उप-विनियम (1) के अधीन प्राप्त शिकायत पर, ब्यूरो को परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशालाओं के लिए राष्ट्रीय प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यकत: प्रत्यायित एक स्वतंत्र प्रयोगशाला में कमरे के अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलिविजन का परीक्षण करके सत्यापन करना

आवश्यक है, और ऐसे परीक्षण करने के लिए प्ररूप 5 में अनुज्ञापत्रधारी को एक नोटिस जारी किया जाएगा और शिकायतकर्ता को नमूना लागत, परीक्षण, परिवहन और अन्य आकस्मिक खर्चों से संबंधित ऐसे खर्चों को ब्यूरो को ऐसी समयावधि, जैसा कि ब्यूरो द्वारा विहित की जाएगी, जमा करने के लिए कहा जाएगा, और यदि चुनौती परीक्षण के अधीन लिया गया नमूना असफल हो जाता है, तो विनिर्दिष्ट सभी खर्चों की प्रतिपूर्ति ब्यूरो को अनुज्ञापत्रधारी द्वारा की जाएगी और ब्यूरो शिकायतकर्ता को उपर्युक्त खर्च वापस कर देगा; और जहां उपस्कर चुनौती परीक्षण पास करता है, तो शिकायतकर्ता द्वारा जमा किए गए खर्च को जब्त कर लिया जाएगा।

- (4) जहां परीक्षण के लिए उपयोग किए गए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलिविजन का कोई नमूना स्वत: परीक्षण या चुनौती दिए गए परीक्षण के दौरान परीक्षण में असफल रहता है, वहां ब्यूरो अनुज्ञापत्रधारी को एक और अवसर प्रदान करेगा तथा ब्यूरोिकसी स्वतंत्र परीक्षण प्रयोगशाला में पहले परीक्षण में उपयोग किए गए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलिविजन की दोगुनी मात्रा के साथ दूसरा परीक्षण करेगा, जो उस प्रयोगशाला से अलग है जहां पहला जांच परीक्षण किया गया था और यह अनुज्ञापत्रधारी के खर्च पर राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा सम्यकत: प्रत्यायित होगा। परंतु ब्यूरो उप-विनियम (3) में उल्लिखित दूसरे परीक्षण तथा नमूने की खरीद और परीक्षण पर किए जाने वाले व्यय को देखने के लिए प्ररूप 5 में अनुज्ञापत्रधारी को सूचित करेगा।
- (5) जहां दूसरा परीक्षण असफल हो जाता है, वहां ब्यूरो -
 - (क) सभी राज्य विविनिर्दिष्ट एजेंसियों को अवगत कराते हुए प्ररूप 6 में अनुज्ञापत्रधारी को निर्देश देगा कि वह दो मास की अवधि के भीतर, -
 - (i) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलिविजन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार लेवल को ठीक करे या परीक्षण के दौरान पाई गई किमयों और दोषों को दूर करे;
 - (ii) ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें; और
 - (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों को बदल दे।
 - (ख) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार-पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से, जैसा वह उचित समझे, किसी भी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिर्देश प्रकाशित करें;
 - (ग) संबंधित राज्य विविनिर्दिष्ट अधिकरण को अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के विरूद्ध न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए सूचित करें।
- (6) अन्ज्ञापत्रधारी, उप-विनियम (5) में विनिर्दिष्ट दो मास की अवधि के समापन के दस दिनों के भीतर,-
 - (क) निर्देश के अनुपालन में की गई कार्रवाई के संबंध में प्ररूप 7 में अनुपालन रिपोर्ट ब्यूरो को भेजेगा।
 - (ख) यदि खंड (क) में विनिर्दिष्ट अनुपालन रिपोर्ट विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी भी निर्देश का पालन किए बिना प्राप्त या प्राप्त नहीं होती है, तो इसे जारी किए गए निर्देश का अनुपालन नहीं माना जाएगा और इस संबंध में आदेश ब्यूरो द्वारा पारित किया जाएगा।
- (7) ब्यूरो खंड (क) में संदर्भित अनुपालन रिपोर्ट और उप-विनियम (6) के खंड (ख) में पारित आदेशों को आवश्यक दस्तावेजों के साथ सभी राज्यनामनित अधिकरणों को धारा 17 और उक्त उप-विनियम के खंड (ख) के अधीन पारित आदेश को लागू करने के अधीन कार्रवाई करने के उद्देश्य से भेजेगा।
- (8) जहां अनुज्ञापत्रधारी उप-विनियम (5) के अधीन ब्यूरो द्वारा जारी निर्देशों का पालन करने में असफल रहता है, वहां ब्यूरो सभी राज्य नामनिर्दिष्ट एजेंसियों को निम्नलिखित की सूचना देगा, -
 - (क) विनियम 7 के उप-विनियम (1) के अधीन अनुज्ञापत्रधारी को दी गई अनुज्ञा को वापस लेगा;
 - (ख) अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित ऊर्जा उपभोग मानकों के अनुरूप अनुज्ञापत्रधारी द्वारा असफलता के समर्थन में परीक्षण रिपोर्ट के साथ केन्द्रीय सरकार को रिपोर्ट भेजेगा, केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 14 के खंड (ग) के अधीन विचार करने और कार्रवाई करने के लिए उप-विनियम (6) का खंड (क) के अधीन व्यूरो के निर्देश संदर्भित हैं:

- (ग) उपभोक्ताओं के लाभ के लिए, दो मास के भीतर किसी भी राष्ट्रीय या क्षेत्रीय दैनिक समाचार-पत्र में और किसी भी इलेक्ट्रॉनिक या किसी अन्य तरीके से, जैसा वह उचित समझे, किसी भी अनुज्ञापत्रधारी का नाम, ब्रांड नाम, मॉडल नाम या मॉडल नंबर, लोगो और अन्य विनिर्देश प्रकाशित करेगा; और
- (घ) अधिनियम की धारा 27 के अधीन अनुज्ञापत्रधारी और व्यापारी के खिलाफ आगे की न्यायिक कार्यवाही शुरू करने के लिए संबंधित राज्य विविनिर्दिष्ट अभिकरणों को सूचित करेगा।
- **12. अनुज्ञा रह करना** ब्यूरो विनियम 7 के अधीन दी गई अनुज्ञा को रह कर सकता है, यदि अनुज्ञापत्रधारी -
 - (क) विनियम 8 के अधीन विनिर्दिष्ट किसी भी निबंधन एवं शर्त का पालन करने में असफल रहता है;
 - (ख) विनियम 9 के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर लेबल फीस का भुगतान करने में असफल रहता है;
 - (ग) विनियम 11 के अधीन जारी निर्देशों का पालन नहीं करता है; और
 - (घ) परंतु कोई भी अनुज्ञा तब तक रद्द नहीं की जाएगी जब तक कि अनुज्ञापत्रधारी को मामले में सुनवाई का अवसर न दिया गया हो।


अनुसूची

[विनियम 3 (2) देखें]

अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर संप्रदर्शित किए जाने वाले विवरण।

(1.) लेबल डिजाइन,-

(i) आयाम:



(ii) रंग स्कीम:



(iii) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लोगो की रंग स्कीम:

नीला -

ह्यू (एच) -239॰ सेचुरेशन (एस): 64% चमक (बी): 59%

प्रकाश या हल्कापन (एल):28, रंगीन घटक -ए:24 बी:54

भारत का राजपत्र : असाधारण

लाल (आर):54 हरा (जी):55 नीला (बी):151

सियान (सी):97% मैजेंटा (एम):95% पीला (वाई):6% काला (के):1%

वेब रंग कोड - #363797

हरा -

ह्यू (एच) -150॰ सेच्रेशन (एस):10% चमक (बी):67%


प्रकाश या हल्कापन (एल):61, रंगीन घटक-ए:-53 बी:32

लाल (आर):0 हरा (जी):170 नीला (बी):87

सियान (सी):81% मैजेंटा (एम):10% पीला (वाई):90% काला (के):1%

वेब रंग कोड - #00AA56;

(iv) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लिए मुद्रित लेबल का पूरा नमूना :



(2) लेबल सामग्री

लेवल टिकाऊ कार्डवोर्ड से निर्मित होगा, यदि इसे लटकते टैग के रूप में जोड़ा जाना है, या स्वयं चिपकने वाला हो और लेबल के लिए आयाम डिजाइन योजना में दिखाई गई आउटलाइन में से किसी एक को काटा जाएगा।

प्ररूप 1- (क)

[विनियम 6(2)देखें]

(कंपनी के पत्र-शीर्ष पर मुद्रित किया जाए)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन केलेबलपरउनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ब्रांड के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन

महानिदेशक

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथा तल, सेवा भवन,

सेक्टर-I, आर के पुरम,

नई दिल्ली - 110066

भारत।

मैं/हम अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के निर्माता हूँ/हैं जो.....शीर्षक के अधीन.....(व्यक्ति या फर्म का पूरा नाम) के अधीन.....(पूरा व्यावसायिक पता) कारोबार कर रहा/रहे हूँ/हैं, एतद्वारा ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन पर विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 में ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता/करते हूँ/हैं।

2.	उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण प्रसुविधा और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण उपावंध में दिया गया है। फर्म या सोसायटी के रजिस्ट्रार या उद्योग निदेशक (छोटे स्तर की यूनिटों के मामले में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण-पत्र की एक फोटोकॉपी या फर्म और उसके विनिर्माण परिसर के नाम को प्रमाणित करने वाले ऐसे अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।				
(ক)	आवेदक अथवा अधिकृत व्यक्तिःपाम और पदनाम) कंपनी/फर्म या अन्य प्राधिकारियों की ओर से इस आवेदन को करने के लिए अधिकृत है और इस आवेदन के साथ दी गई जानकारी की सटीकता के लिए उत्तरदायी होगा।				
(ख)) संपर्क व्यक्ति: (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेवल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय करने के लिए संपर्क व्यक्ति के रूप में अधिकृत है।				
(क)	मैं/हम ऊपर (क) या (ख) में परिभाषित अधिकृत र्व्या हूँ/हैं।	क्तेयों में कोई भी परिवर्तन	न होने पर ब्यूरो	को सूचित करने का वचन देता	
3.	उक्त उपस्कर के उत्पादन और बिक्री के आंकड़े तथा ग्रे प्रकार है:	मेरी/हमारी सर्वोत्तम जान	कारी और अनुमा	न के अनुसार इनका मूल्य इस	
वर्ष		उत्पादन	बिक्री	उपस्कर का अधिकतम खुदरा मूल्य (रु.)	
पेछ	ते वर्षसे				
	तक				
चालू	वर्षसे				
	तक (अनुमान)				
4.	एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए, जैसा भी मामल ड्राफ्ट सं/इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वार है।	, ,	•		
5.	मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार लेबलिंग फीस का	। भुगतान करने के लिए स	हमत हूँ/हैं।		
6.	मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधन एवं शर्तों क आवश्यक सहायता/ सहयोग करने के लिए सहमत हूँ/हैं।	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	द्वारा की जाने वाल	ी किसी भी जांच के मामले में	
7.	मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती पर्र ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।	ोक्षण के लिए नमूने का च	यन करने हेतु अधि	प्रेकृत करते हैं और इस संबंध में	
8.	मैं/हम वचन देता/देते हूँ/हैं कि इस आवेदन में दी गई स् सूचना गलत पाई जाती है; तो आवेदन को तत्काल खार्		ग् नुसार सही है, अं	ौर यदि प्रदान की गई कोई भी	
•	वर्ष) को हस्ताक्षरि	त			
			τ	हस्ताक्षर नाम ादनाम गौर की ओर से (फर्म का नाम) फर्म की मुहर	

अभय बाकरे, महानिदेशक,

[विज्ञापन-III/4/असा./680/2022-23]

उपाबंध

[प्ररूप 1-(क) का पैरा 2 देखें]

4		\sim
1	कपनी का	विवरण
1.	7/7/11 7/1	1995

कंपनी का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
रजिस्ट्रीकरण के समर्थन में संलग्नक:	हां/ नहीं
(क) विनिर्माण या व्यवसाय परिसर के नाम और पते को प्रमाणित करने वाला दस्तावेज़	
(ख) ट्रेड मार्क प्रमाण-पत्र	
(ग) लघु उद्योग प्रमाणपत्र, यदिलागू हो	
(घ) गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालीप्रमाणपत्र	
(ड.)अधिकृत हस्ताक्षरकर्तापत्र	
(च) भारतीय मानक अनुज्ञप्ति ब्यूरो, यदिलागू हो	
(छ) डिमांड ड्राफ्ट (सुरक्षा जमा)/ ऑनलाइन भुगतान किए जाने की स्थिति में भुगतान रसीद	

2. विनिर्माण परिसर का विवरण (एक से अधिक विनिर्माण प्रसुविधाओं के मामले में एक अलग सारणी प्रदान की जाए)

विनिर्माण प्रसुविधा का नाम	
पता	
पिन कोड	
राज्य/ देश	
फ़ोन नंबर	
फैक्स नंबर	
ई-मेल	
वेबसाइट	
कोई अन्य विवरण (यदि कोई हो)	

तारीख	
	हस्ताक्षर
	नाम
	ਪਟਜਾਸ

कृते और की ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

प्ररूप 1 - (ख)

[विनियम 6 देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन

महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो,
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चौथी मंजिल, सेवा भवन,
सेक्टर-I, आर.के. पुरम,

भारत

- 2. विनिर्माण प्रसुविधा : उपर्युक्त उपस्कर...... (कंपनी का नाम) द्वारा निर्मित या आयात किया जाता है और................ (कारखाने का नाम और पता) पर निर्मित होता है।
- 3. सूचना का विवरण : उपस्कर, कंपनी, विनिर्माण सुविधा, परीक्षण उत्पादों के लिए प्रमाणन, लेबल और भुगतान के संबंध में जानकारी का विवरण उपाबंध में दिया गया है। फर्मों के रजिस्ट्रार या सोसायटी/उद्योग निदेशक (लघु उद्योग इकाइयों के मामले में) द्वारा जारी किए गए निगमन प्रमाण-पत्र की एक फोटोप्रति या फर्म और उसके निर्माण परिसर के नाम को प्रमाणित करने वाले ऐसे अन्य दस्तावेज संलग्न हैं।
- (क) आवेदक/ अधिकृत व्यक्ति : (नाम और पदनाम) कंपनी / फर्म / आदि की ओर से इस आवेदन को करने के लिए अधिकृत है, और वह इस आवेदन के साथ दी गई जानकारी के संबंध में सटीकता और प्रामाणिकता के लिए उत्तरदायी होगा।
- (ख) संपर्क व्यक्ति : (नाम और पदनाम) इस आवेदन और लेबल के उपयोग के संबंध में ब्यूरो के साथ समन्वय के लिए अधिकृत संपर्क व्यक्ति है।
- (ग) मैं/हम उपरोक्त (क) या (ख) में परिभाषित अधिकृत व्यक्तियों में किसी भी परिवर्तन के बारे में ब्यूरो को सूचित करने का वचन देते हैं।
- 4. मानकों से अनुरूपता: (1) मैं/हम(उपस्कर का नाम) के लिए......(अधिसूचना का शीर्षक) की अधिसूचना में विनिर्दिष्ट अनुसार.....भारतीय मानक/अन्य(मानक का नाम और संख्यांक) के अनुसार गुणवत्ता प्रणाली अथवा अन्य मानक के संबंध में भारतीय मानक ब्यूरो/अन्य अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करता/करते हैं/हैं।
- (2) मैंने/हमने अपनी/हमारी आंतरिक प्रयोगशाला........................में या राष्ट्रीय परीक्षण एवं अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की प्रत्यायित प्रयोगशाला.......में विनिर्दिष्ट अनुसार मानकीकरण/ अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रो टेक्निकल कमीशन मानकों के लिए राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोग शाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोग शालाया अंतर्राष्ट्रीय प्रयोग शाला प्रत्यायन सहयोग या एशिया

प्रशांत प्रयोग शाला प्रत्यायन सहयोग या समकक्ष निकायों द्वारा उपकरणों की गुणवत्ता के साथ-साथ सुसंगत भारतीय मानकों/ अंतर्राष्ट्रीय संगठन के कार्य क्षेत्र में स्थिरता सुनिश्चित करने के लिए प्रत्यायित है।

प्रयोगशाला का विवरण:

- (क) प्रत्यायन बोर्ड:
- (ख) प्रत्यायन की स्थिति:
 - (i) प्रयोग शाला के लिए: (हाँ/नहीं)
 - (ii) परीक्षण मानकों के लिए: (प्रासंगिक उत्पाद मानक का नाम/संख्यांक विनिर्दिष्ट करें)
- (ग) ऊर्जा दक्षता ब्यूरो का अनुमोदन:
- 5. उक्त उपस्कर के उत्पादन और विक्री के आंकड़े और मेरी/हमारी सर्वोत्तम जानकारी और अनुमान के अनुसार उनका मूल्य निम्नानुसार है:

वर्ष	उत्पादन	बिक्री	उपस्कर की एमआरपी (रु.)
सेतक अं	तेम वर्ष		
सेतक वर	ोमान वर्ष (अनुमान)		

- 6.(क) इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा भुगतान किए गए दो हजार रुपए का आवेदन फीस।
- (ख) एक लाख रुपए या पच्चीस हजार रुपए के लेबल सुरक्षा फीस का भुगतान इलेक्ट्रॉनिक मोड द्वारा किया गया है।
- (ग) मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट लेबलिंग फीस का भुगतान करने के लिए सहमत हैं।
- 7.मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार सभी निबंधन एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के मामले में उसे आवश्यक सहायता/सहयोग प्रदान करूंगा/करंगे।
- 8. मैं/हम ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने हेतु अधिकृत करता/करते हूँ/हैं और इस संबंध में ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
- 9. मैं/हम वचन देते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी जानकारी के अनुसार सही है, और यदि प्रदान की गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है; तो आवेदन को तत्काल रह किया जा सकता है।

0	<u>C</u>	, ,
ताराख	(देन	(वष)

हस्ताक्षर	
नाम	
पदनाम	
कृते और की ओर से .	
•	<u> </u>
	(फर्म का नाम)
	फर्म की मुहर

उपाबंध

[प्ररूप 1 - (ख) का पैरा 3 देखें]

सूचना का विवरण

- 1. उत्पाद/उपस्कर विवरण
- **1.1 साधारण** (लागू अनुसार विवरण भरें)

उपस्कर और प्रकार
ब्रांड का नाम
मॉडल का नाम और संख्यांक
स्क्रीन का आकार (सें.मी.)
स्क्रीन का एरिया (वर्ग सें.मी.)
वोल्टेज/वोल्टेज रेंज
विनिर्माण का वर्ष
वीआईएस प्रमाणपत्र विवरण (यदि कोई हो)
(अनुज्ञप्ति/प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)
स्टार रेटिंग

1.2 तकनीकी विशिष्टता (लागू अनुसार विवरण भरें)

(क) परीक्षणमूल्य:

क्र. सं.	मॉडल का नाम/ संख्यांक	आंका गया मूल्य		घोषित मूल्य			टिप्पणियां			
		स्क्रीन का आकार (सें.मी.)	स्क्रीन एरिया (वर्ग सें.मी.)	ऊर्जा उपभोग (किलोवाट/ वर्ष)	स्टार लेवल या आंका गया ऊर्जा दक्षता स्तर	स्क्रीन का आकार (सें.मी.)	स्क्रीन एरिया (वर्ग सें.मी.)	ऊर्जा उपभोग (किलोवाट/ वर्ष)	स्टार लेवल या ऊर्जा दक्षता स्तर	

2. परीक्षण प्रयोगशाला का विवरण

परीक्षण प्रयोगशाला का नाम	
प्रत्यायन स्थिति	हां/नहीं
(i) प्रयोगशाला के लिए	
(ii) सुसंगत मानकों के लिए	
(मान्यता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें)	
मान्यता की वैधता	
(इसके समर्थन में दस्तावेज संलग्न करें)	
पता	
पिन कोड	
राज्य	
फ़ोन नं.	
फैक्स नं.	

MORE STARS MORE SAVINGS	277*	*Under test conditions when tested in accordance to IEC 62087. Actual energy consumption will depend on how the	THE CONSTITUTE CONSTITUTE OF THE CONSTITUTE OF T
POWER SAVINGS GUIDE	Label Period: 1 st July 2023 to 31 st Dec. 2024		BEE/XYZ/XX

नाम
पदनाम
कृते और की ओर से
(फर्म का नाम)
फर्म की मुहर

प्ररूप 2 - (क)

[विनियम 7(1)(क) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अ	ल्ट्रा-हाई डेफिनिशन [°]	टेलीविजन के ले	बल पर उनके संसं	प्रदर्शन की विशि	ष्टेयां और रीति)	विनियम, 2023 के
	अधीन अल्ट्रा-हाई	डेफिनिशन टेर्ल	विजन के ब्रांड के	रजिस्ट्रीकरण के	लिए अनुज्ञा	

	नई दिल्ली, तारीख
सेवाः	में
1.	ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपवंधों के अनुसार, ब्यूरो इस पत्र के उपाबंध में विहित अनुमोदन के विवरण के अनुसार अपने ब्रांड को रजिस्ट्रीकृत करने की अनुज्ञा देता है।
2.	यह अनुज्ञा निम्नलिखित के अधीन है-
(ক)	अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेवल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड (क) के अधीन अधिसूचित अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ऊर्जा उपभोग मानकों और उपर्युक्त विनियमों में प्रदान की गई निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप होगा;
(ख)	अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के केवल ऐसे मॉडल पर लेबल चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
(ग)	अनुज्ञापत्रधारी के खर्च पर अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल की छपाई की जाएगी और चिपकाया जाएगा;
(घ)	अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को हर समय बनाए रखा जाएगा;
(ङ)	अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार लेबल फीस का भुगतान करेगा;
(च)	अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले मास के भीतर प्रत्येक तिमाही के लिए देय लेबल उपस्कर और उस पर अर्जित लेबलिंग फीस का विवरण ब्यूरो को प्रस्तुत करेगा। यही विवरण स्वचालित प्रणाली के माध्यम से ब्यूरो को भी भेजे जाएंगे;
(छ)	अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा जब भी मांगा जाए, अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ऐसे अन्य विवरण भी उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है।
	नुज्ञापत्रधारी ब्यूरो की पूर्व अनुज्ञा को छोड़कर, वैधता अवधि के दौरान बाजार से रजिस्ट्रीकृत ब्रांड और अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन वेजन को वापस नहीं लेगा।
4.	ब्रांड के लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोडहै और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार यह लेबल पर प्रदर्शिता होना चाहिए।
आज.	दिन मास वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किए गए और मुहर लगाई गई।
	भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप 2-(क) का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों का विवरण

जनुमादना क	। । १४ १ ७	
कंपनी का नाम		
पता		
पिन कोड		
राज्य		
फ़ोन नं.		
फैक्स नं.		
ई-मेल		
वेबसाइट		
1. रजिस्ट्रीकृत ब्रांड का नाम:		
2. विशिष्ट श्रृंखलाकोड:		
3. अन्य विवरण (यदिलागू हो):		
तारीख		
		भवदीय
		(सचिव)
	ठर्जा ह	दक्षता ब्यूरो
บลบ	· 2 - (ख)	
	7(1)(ख) देखें]	
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल प अधीन अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनु		, 2023 के
	नई दिल्ली, तारीख	
सेवा में		
1	·	

- 1. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन का विवरण और तरीका) विनियम, 2023 के विनियम 7 के उपबंधों के अनुसार, ब्यूरो इस पत्र के उपाबंध में विहित अनुमोदनों के विवरण के अनुसार आपको लेबल लगाने की अनुज्ञा प्रदान करता है।
- 2. यह अनुज्ञा इस शर्त के अधीन है कि-
- (क) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेवल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर अधिनियम की धारा 14 के खंड(क) के अधीन अधिसूचित अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लिए ऊर्जा उपभोग मानक और उपर्युक्त विनियम में प्रदान की गई निबंधन एवं शर्तों के अनुरूप होगा;

- (ख) लेबल केवल अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ऐसे मॉडल पर चिपकाया जाएगा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है;
- (ग) लेबल को अनुज्ञापत्रधारी के खर्च पर अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर मुद्रित या चिपकाया जाएगा;;
- (घ) अनुज्ञापत्रधारी यह सुनिश्चित करेगा कि अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर संप्रदर्शित स्टार स्तर हर समय बनाए रखा जाएगा;
- (ङ) अनुज्ञापत्रधारी तीस रुपए प्रति लेबल फीस का भुगतान करेगा;
- (च) अनुज्ञापत्रधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के अगले मास के भीतर ब्यूरो को एक विवरण प्रस्तुत करेगा जिसमें लेबल किए गए उपस्कर के उत्पादन और प्रत्येक तिमाही के लिए देय उपार्जित लेबलिंग फीस का विवरण होगा;
- (छ) यही विवरण ब्यूरो को स्वचालित प्रणाली के माध्यम से भेजा जाएगा;
- (ज) अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो द्वारा जब भी मांगा जाए, अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के ऐसे अन्य विवरण भी उपलब्ध कराएगा जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है।
- 3. यह अनुज्ञा......से.....तक मान्य होगीऔर इसे विहित अनुसार नवीनीकृत किया जा सकता है। अनुज्ञापत्रधारी ब्यूरो के पूर्व अनुमोदन को छोड़कर, वैधता अवधि के दौरान अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन को बाजार से वापस नहीं लेगा।
- 4. उपस्कर के लिए ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट विशिष्ट लेबल श्रृंखला कोड है और अनुमोदित डिजाइन के अनुसार लेबल पर दिखाई देना चाहिए।
- 5. जहां केन्द्रीय सरकार द्वारा समीक्षा कर के स्टार स्तर की योजनाओं को पुनरीक्षित किया जाता है, अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के स्टार में निम्नानुसार पुनरीक्षित किया जाएगा :-
- (क) यदि नए मॉडल को पुनरीक्षित स्टार स्तर के साथ सिंक्रोनाइज़ करते हुए लॉन्च किया जाता है, तो ऐसी अनुज्ञा के लिए एक आवेदन ब्यूरो को उस तारीख से छह मास पहले किया जाएगा, जब से नया स्टार स्तर लागू होता है;
- (ख) जहां विद्यमान मॉडल पुनरीक्षित स्टार स्तर को प्रभावी करना जारी रखता है, वहां केवल प्ररूप 4 में एक घोषणा ब्यूरो को प्रस्तत की जाएगी।
- 6. आज.....वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किए गए और मुहर लगाई गई।

भवदीय.

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

उपाबंध

[प्ररूप 2 का पैरा 1 देखें]

अनुमोदनों का विवरण

1 उपस्कर का विवरण

उपस्कर और प्रकार	
ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम	
मॉडलकानाम/ संख्यांक	
स्क्रीन का आकार (सें.मी.)	
स्क्रीन एरिया (वर्ग सें.मी.)	

वोल्टेज/ वोल्टेज रेंज	
विनिर्माण का वर्ष	

(क) तकनीकी विनिर्देश:

क्र.सं.	मॉडल		आंका	गया मूल्य			घोषित मूल्य			टिप्पणियां
	का .									
	नाम/				ı				ı	
	संख्यांक	स्क्रीन का	स्क्रीन	ऊर्जा उपभोग	स्टार	स्क्रीन का	स्क्रीन	ऊर्जा उपभोग	स्टार	
		आकार	एरिया	(किलोवाट/	स्तर या	आकार	एरिया	(किलोवाट/	स्तर या	
		(सें.मी.)	(वर्ग	वर्ष)	आंका	(सें.मी.)	(वर्ग	वर्ष)	ऊर्जा	
			सें.मी.)		गया		सें.मी.)		दक्षता	
					ऊर्जा				स्तर	
					दक्षता					
					स्तर					

2. लेबल विवरण

- 3. लेवल डिजाइन, आकार, रंग योजना, लेवल के लिए उपयोग की जाने वाली सामग्री और ब्यूरो के लोगो के लेवल और रंग योजना की सामग्री अनुसूची में विनिर्दिष्ट अनुसार होगी।
- 4. अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लगाए जाने वाले ब्यूरो द्वारा सम्यक रूप से अनुमोदित लेवल का नमूना नीचे दर्शाया गया है। अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का लेवल (प्ररूप 2 के उपाबंध की मद सं. 3 के अधीन, निम्नलिखित नमूना लेवल को प्रति स्थापित किया जाएगा):



Annual Energy Consumption (kWh/Year)

Brand : XX Model No. /Year : ABC / XXXX Equipment Type : Ultra HD / 4K TV Screen Size : Centimetre

2777*

*Under test conditions when tested in accordance to IEC 62087. Actual energy consumption will depend on how the equipment is used.





पत्र म प्रदान किए गए विशिष्ट लबले श्रृंखला कोड को उल्लेख अल्ट्रा-होई डाफानशन टला	विजन पर लग लबल म करना हागा।
तारीख	
	हस्ताक्षर
	नाम
	पदनाम
	कृते और की ओर से
	(फर्म का नाम)
	फर्म की मुहर

प्ररूप 3 [विनियम 7 का उप-विनियम (2) देखें]

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो द्वारा रखे जाने वाले अनुज्ञापत्रधारी का रजिस्टर

क्र.सं.	आवेदन संख्यांक और अनुज्ञा की तारीख	अनुज्ञापत्रधारी का नाम और ब्यौरे (संपर्क व्यक्ति, पता, पिन कोड, राज्य, फोन नं., फैक्स नं., ई-मेल, वेबसाइट)	उन उपस्करों के व्यौरे जिनके लिए अनुज्ञा दी गई है	घोषित स्टार स्तर या दक्षता स्तर	बीईई अनुज्ञा संख्यांक और विशिष्ट लेबल श्रृंखला	अवधि जिसके लिए अनुज्ञा दी गई है
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

लेबल सुरक्षा फीस की रकम	द्वारा प्राप्त लेबल सुरक्षा जमा (इलेक्ट्रॉनिक (ब्यौरे): तारीख:)	प्राप्त आवेदन फीस की रकम	आवेदन फीस की प्राप्त रकम के ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे): तारीख:)
(8)	(9)	(10)	(11)

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के दौरान लगाए गए लेबलों की कुल संख्यांक	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए बीईई को देय लेवलिंग फीस की रकम	प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए प्राप्त लेबलिंग फीस के ब्यौरे (इलेक्ट्रॉनिक संव्यवहार (ब्यौरे): तारीख:)	टिप्पणियां
(12)	(13)	(14)	(15)

प्ररूप 4

[विनियम 7 का उप-विनियम (7) देखें]

विद्यमान मॉडल पर लेबल लगाने की अनुज्ञा जारी रखने की मांग करने वाले अनुज्ञापत्रधारी द्वारा घोषणा (प्रत्येक अलग-अलग मॉडल के लिए, संबंधित उपाबंध के साथ एक पृथक पत्र प्रस्तुत किया जाएगा)

(निगमित निकाय/ अनुज्ञापत्रधारी के शीर्षनामा पर)

तारीख:
सेवा में
महानिदेशक
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)
चतुर्थ तल, सेवा भवन,
सेक्टर 1, आर.के. पुरम,
नई दिल्ली-110066 - भारत

विषय: ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के अधीन लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए.......से प्रभावी स्टार स्तर के पुनरीक्षण संबंधी आवेदन।

- 1. मैं/हम अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के विनिर्माता / आयातक हैं जो [कंपनी का पूरा पता के साथ कंपनी के अभिनाम से] [व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] कारोबार चला रहा हूँ / चला रहे हैं इसके लिए ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 में ब्यूरो द्वारा यथाविनिर्दिष्ट अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा के लिए आवेदन करता हूँ / करते हैं, जोसे स्टार स्तर के पुनरीक्षण के लिए होगा।
- 2. उपर्युक्त उपस्कर [व्यष्टि या फर्म का पूरा नाम] का विनिर्माण या आयात किया जाता है और इसका विनिर्माण (कारखाने का नाम और पता) में किया जाता है या (आयातकर्ता का नाम और पता) से आयात किया जाता है;
- 4. यूएचडी टेलीविजन के संबंध में ऊर्जा दक्षता ब्यूरो लेबल (स्टार स्तर परिवर्तन के पुनरीक्षण के अनुसार) की एक प्रति संलग्न है।
- 5. स्टार स्तर के पुनरीक्षण के अनुसार उपस्कर/ मॉडल के ब्यौरे।

मॉडल का नाम	

विशिष्टियां	घोर्	षेत मूल्य
स्क्रीन का आकार (सें.मी)		
स्क्रीन क्षेत्र (वर्ग सें.मी.)		
वार्षिक बिजली उपभोग (कि.वॉट घंटा/वर्ष)		
स्टार रेटिंग	(विद्यमान स्टार स्तर के अनुसार)	(पुनरीक्षित स्टार स्तर के अनुसार)

6. मैं/हम मैन्युअल आवेदन के साथ-साथ ऑनलाइन वेब पोर्टल में स्टार स्तर को [विद्यमान स्टार लेबल स्तर] से [पुनरीक्षित स्टार लेबल स्तर] में परिवर्तन करने के लिए सहमत हूँ/हैं।

- मैंने उक्त अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन मॉडल के लिए अब तक का अपना तिमाही उत्पादन डाटा और लेबलिंग फीस जमा 7. कर दी है।
- मैं/हम ब्यूरो द्वारा विनिर्दिष्ट सभी निबंधनों और शर्तों का पालन करने और ब्यूरो द्वारा की जाने वाली किसी भी जांच के 8. मामले में आवश्यक सहायता/ सहयोग करने के लिए सहमत हूँ/हैं।
- मैं/हम ऊर्जा दक्षता ब्यूरो को सत्यापन और चुनौती परीक्षण के लिए नमूने का चयन करने के लिए प्राधिकृत करता हूँ / करते हैं और इस बावन में ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए महमून हैं/हैं। 9.

	और इस बावत में ब्यूरों के निर्देशों का पालन करने के लिए सहमत हूं/है।	
10.	मैं/हम वचनबद्ध करता हूँ/ करते हैं कि इस आवेदन में दी गई सूचना मेरी/हमारी सर्वोत्तम जान	नकारी के अनुसार सही है, और
	यदि दी गई कोई भी सूचना गलत पाई जाती है, तो आवेदन को तुरंत रद्द किया जाए।	
तारीख:		
		का दिन (वर्ष)
	7	हस्ताक्षर
		नाम
	τ.	ग्दनाम
	कृते अ	गैर की ओर से
		(फर्म का नाम)
		ू फर्म की मुहर
	प्ररूप 5	34
	[विनियम 11(3) देखें]	
	चुनौती परीक्षा/द्वितीय परीक्षा देखने के लिए अनुज्ञापत्रधारी को सूचना	
	नई दिल्ली	ो, तारीख
प्तेवा में		
		2 00, 00
	क्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां अ 	
	म 7 के उपबंधों के अनुसरण में, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीखके पत्र संके पत्र हीं तों के अनुपालन के अधीन आपको अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने के लिए अनु	
2.	ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्श	
	ा 2023 के विनियम 11 के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आपके प्राधिकृत वितरक/ब्यौह	
	तारीखके माध्यम से रुपए की कीमत पर लेबल लगा स्टार अ था तथा उसे स्वतः परिक्षण या चुनौती परिक्षण के प्रयोजन के लिए तारीखको एक नम्	
	या तथा उस स्वतः परिक्षण या चुनाता परिक्षण के प्रयोजन के लिए ताराखको एक नर् मों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियों के सत्यापन के लिए ब्यूरो	
	द्वारा नमूने खरीदे गए थे, जो आपके द्वारा पूर्वोक्त खरीदे गए अल्ट्रा-ह	.
चिपकाए	ए गए थे। मैसर्स जिसका क्रम	ा संख्यांकथा, को
	ा अभिकरण के सम्यक रूप से अधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अंतर्गत मैसर्स ——————————————————————————————	(वितरक, व्यौहारी, खुदरा
	का नाम) से प्राप्त किया गया था।	
3.	्ब्यूरो ने अपने पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को राष्ट्रीय पर्र	क्षिण और अंशांकन प्रयोगशाला

प्रत्यायन बोर्ड की प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स.....को तारीख.....की अधिसूचना संख्यांक का.आ.....के

पैरा 3, 4 और 5 में प्रदर्शित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने और तारीखकी अधिसूचना संख्यांक का.आ. के उपाबंध में दिए गए प्ररूप के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।

- 4. उत्पाद के ब्यौरे और स्वतः परिक्षण के परिणाम (यदि लागू हो) इस पत्र के साथ संलग्न हैं। अत: अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (1) के उपबंधों के अनुसरण में, ब्यूरो......(तारीख) को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित(प्रयोगशाला का नाम) से स्वतःपरिक्षण/ चुनौती परीक्षण (जैसा लागू हो) आयोजित कर रहा है।
- 5. ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन) टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (4) के उपबंधों के अनुसरण में ब्यूरो सूचित करता है कि–
- (i) नामनिर्दिष्ट अधिकारी के नाम, पदनाम और हस्ताक्षर को दर्शाने वाले प्राधिकार-पत्र के साथ विनिर्दिष्ट उपरोक्त तारीख को अधिकारी को चुनौती परीक्षण / दूसरा परीक्षण देखने के लिए नामनिर्दिष्ट किया जाए (पत्र पर कंपनी के प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर करके मुहर लगाई जाएगी)।
- (ii) इस पत्र के जारी होने की तारीख से पंद्रह दिनों के भीतर खरीद, परिवहन, परीक्षण और अन्य आकस्मिक व्यय की ऐसी लागत जमा करें, जैसा कि उपाबंध में उल्लिखित किया गया है (व्यय को इलेक्ट्रॉनिक ढंग से जमा किया जाएगा)।
- 6. कृपया नोट करें कि ब्यूरो चुनौती परीक्षण या दूसरे परीक्षण द्वारा सत्यापन करना जारी रखेगा, भले ही उपर्युक्त उल्लिखित व्यय समय पर जमा नहीं किया जाता है या अधिकारियों को विनिर्दिष्ट अनुसार नामनिर्दिष्ट नहीं किया जाता है और ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम 2023 के विनियम 11 के उपविनियम (5) के अनुसार मामले मे आगे अनुवर्ती कार्रवाई करेगा।
- 7. आज.....विन.....मास....वर्ष को इस पर हस्ताक्षर किए गए और मुहर लगाई गई।

भवदीय

(सचिव)

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक:

- 1. उत्पाद के ब्यौरे/ स्वतःपरीक्षणपरिणाम
- 2. उपाबंध 5 (क)
- 3. व्यय से संबंधित बीजक

उपाबंध

[प्ररूप 5 का पैरा 5 देखें]

सूचना के ब्यौरे

1. उत्पाद/ उपस्कर ब्यौरे

उपस्कर और प्रकार	
ब्रांड का नाम	
मॉडल का नाम और संख्यांक	
स्क्रीन का आकार (सेंटीमीटर)	
स्क्रीन क्षेत्र (वर्ग सेंटीमीटर)	
वोल्टेज/ वोल्टेज रेंज	
विनिर्माण का वर्ष	

गया था।

वीआईएस प्रमाण-पत्र क्योरे (यदि कोई हो) (अनुज्ञसि/ प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करें) स्टार रेटिंग या स्टार स्तर विशिष्ट लेवलशृंखलाकोड 2. ब्यूरो को जमा की जाने वाली रकम: ब्यौरे नम्तों की संख्यांक प्रति नम्ता लागत कुल प्रतीक्षण प्रभार परिवहन प्रभार (यदि लागू हो) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा संदल्त की जाने वाली कुल रकम 3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो): ब्रांड ब्रांड परेट वार्षिक ज्ञाउपभोग (का संस्ति का क्षेत्र स्तिन का क्षेत्र स्टार रेटिंग स्टार रेटिंग (जाँच परीक्षण) तारीख
स्टार रेटिंग या स्टार स्तर विशिष्ट लेवलशृंखलाकोड 2. ब्यूरो को जमा की जाने वाली रकम: व्यौरे नम्तों की संख्यांक प्रति नम्ता लागत कुल प्रति लाग लागत कुल प्रति लाग हो। अनुज्ञापत्रधारी द्वारा संदत्त की जाने वाली कुल रकम 3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लाग हो): बांड माँडल रेटेड वार्षिक स्कीन का क्षेत्र स्टार रेटिंग (जाँच परीक्षण) (कि.वाँट/वर्ष) तारीख
विशिष्ट लेबलशृंखलाकोड ट. ब्यूरो को जमा की जाने वाली रकम: व्योरे संख्यांक/ ब्यय (भारतीय रुपए में) नम्ता ले मंख्यांक प्रति नमूना लागत कुल प्रशिक्षण प्रभार परिवहत प्रभार (यदि लागू हो) अनुजापत्रधारी द्वारा संदल्त की जाने वाली कुल रकम उ. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो): ब्रांड मॉडल रेटेड वार्षिक उर्जा उपभोग (वर्ष सें.मी.) स्वार रेटिंग (वोषित) (जाँच परीक्षण) तारीख तारीख
2. ब्यूरो को जमा की जाने वाली रकम: ब्यौरे तम्नों की संख्यांक प्रित नम्ना लागत कुल क्रय लागत कुल परीक्षण प्रभार परिवहन प्रभार (यदि लागू हो) अनुजापत्रधारी द्वारा संदल की जाने वाली कुल रकम 3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो): ब्रांड माँडल रेटेड वार्षिक स्क्रीन का क्षेत्र स्टार रेटिंग (जाँच परीक्षण) (कि.वॉट/वर्ष) तारीख
व्योरे नम्नों की संख्यांक प्रति नम्ना लागत कुल क्रय लागत कुल परीक्षण प्रभार परिवहन प्रभार (यदि लागू हो) अन्जापत्रधारी द्वारा संदल की जाने वाली कुल रकम 3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो): ब्रांड मॉडल रेटेड वार्षिक उजी उपभोग (कि.वॉट/वर्ष) (कि.वॉट/वर्ष) तारीख
व्योरे नम्नों की संख्यांक प्रति नम्ना लागत कुल क्रय लागत कुल परीक्षण प्रभार परिवहन प्रभार (यदि लागू हो) अन्य (यदि लागू हो) अनुप्रापत्रधारी द्वारा संदल की जाने वाली कुल रकम 3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो): ब्रांड मॉडल रेटेड वार्षिक ऊर्जा उपभोग (कि.वॉट/वर्ष) (कि.वॉट/वर्ष) तारीख
नम्नों की संख्यांक प्रति नम्ना लागत कुल क्रय लागत कुल परीक्षण प्रभार परिवहन प्रभार (यदि लागू हो) अन्य (यदि लागू हो) अनुजापत्रधारी द्वारा संदल की जाने वाली कुल रकम 3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो):
प्रति नम्ना लागत कुल क्रय लागत कुल परीक्षण प्रभार परिवहन प्रभार (यदि लागू हो) अन्ज्ञापत्रधारी द्वारा संदत्त की जाने वाली कुल रकम 3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो):
कुल क्रय लागत कुल परीक्षण प्रभार परिवहन प्रभार (यदि लागू हो) अन्य (यदि लागू हो) अनुजापत्रधारी द्वारा संदत्त की जाने वाली कुल रकम 3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो): ब्रांड मॉडल रेटेड वार्षिक उर्जा उपभोग (वर्ग सें.मी.) (घोषित) (जाँच परीक्षण) तारीख
कुल परीक्षण प्रभार परिवहन प्रभार (यदि लागू हो) अन्य (यदि लागू हो) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा संदल्त की जाने वाली कुल रकम 3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो): ब्रांड मॉडल रेटेड वार्षिक उर्जा उपभोग (वर्ग सें.मी.) स्कीन का क्षेत्र स्टार रेटिंग (घोषित) (जाँच परीक्षण) तारीख
परिवहन प्रभार (यदि लागू हो) अनुजापत्रधारी द्वारा संदत्त की जाने वाली कुल रकम 3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो): ब्रांड मॉडल रेटेड वार्षिक स्क्रीन का क्षेत्र स्टार रेटिंग (जाँच परीक्षण) (कि.वॉट/वर्ष) तारीख
अन्य (यदि लागू हो) अनुज्ञापत्रधारी द्वारा संदत्त की जाने वाली कुल रकम 3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो): ब्रांड मॉडल रेटेड वार्षिक ऊर्जा उपभोग (वर्ग सें.मी.) स्क्रीन का क्षेत्र (वर्ग सें.मी.) (जाँच परीक्षण) तारीख गवदीय, (सचिव)
अनुज्ञापत्रधारी द्वारा संदत्त की जाने वाली कुल रकम 3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो): ब्रांड मॉडल रेटेड वार्षिक ऊर्जा उपभोग (वर्ग सें.मी.) (घोषित) (जाँच परीक्षण) तारीख
3. स्वतः परीक्षण के परिणाम (यदि लागू हो): ब्रांड मॉडल रेटेड वार्षिक फ्क्रीन का क्षेत्र स्टार रेटिंग (घोषित) (जाँच परीक्षण) (कि.वॉट/वर्ष) (वर्ग सें.मी.) (घोषित) (जाँच परीक्षण) तारीख
ब्रांड मॉडल रेटेड वार्षिक स्क्रीन का क्षेत्र (घोषित) (जाँच परीक्षण) टिप्पणियां (क्षेत्री.) (जाँच परीक्षण) तारीख
जर्जा उपभोग (वर्ग सें.मी.) (घोषित) (जाँच परीक्षण) तारीख
तारीखभवदीय, (सचिव)
तारीखभवदीय, (सचिव)
भवदीय, (सचिव)
भवदीय, (सचिव)
भवदीय, (सचिव)
(सचिव)
(सचिव)
· · ·
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो
प्ररूप 6
[विनियम 11 का उप-विनियम (5) देखें]
द्वितीय जांच परीक्षण में असफल रहने पर अनुज्ञापत्रधारी को निदेश
नई दिल्ली, तारीख
सेवा में
ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संसंप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के
विनियम 7 के उपवंधों के अनुसरण में, आपको ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीखके पत्र संके पत्र संके माध्यम से

उसमें विनिर्दिष्ट निबंधनों और शर्तों के अनुपालन के अधीन अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने के लिए अनुज्ञात किया

2. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम के अधीन ऊर्जा दक्षता ब्यूरो ने आपके प्राधिकृत वितरक / व्यौहारी / खुदरा विक्रेता से बीजक संख्यांक तारीख द्वारा रुपए की कीमत पर लेबल लगा स्टार अल्ट्रा हाई डेफिनिशन टेलीविज़न खरीदा था और पूर्वोक्त विनियमों के विनियम 3 के अधीन लेबल पर संप्रदर्शित विशिष्टियों के सत्यापन के लिए ब्यूरो द्वारा नियुक्त अभिकरण मैसर्स द्वारा नमूने के रूप में लिया था। जो आपके द्वारा चिपकाए गए पूर्वोक्त संख्यांक से मैसर्स द्वारा प्राप्त किया गया था जो क्रम संख्यांक द्वारा प्राप्त किया गया था, जो क्रम संख्यांक सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के हस्ताक्षर के अधीन मैसर्स
3. ब्यूरो ने अपने पूर्वोक्त सत्यापन अभिकरण के माध्यम से पैरा 2 में निर्दिष्ट नमूने को राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्सको तारीखकी अधिसूचना संख्यांक का.आ के पैरा 3, 4 और 5 में उपदर्शित परीक्षण प्रक्रिया के अनुसार परीक्षण करने और तारीखकी अधिसूचना संख्यांक का.आ के उपाबंध में दिए गए प्ररूप के अनुसार परीक्षण रिपोर्ट देने के लिए कहा गया था।
4. विशिष्ट पहचान क्रमांक नमूने की परीक्षण रिपोर्ट का परिणाम संलग्न हैं। परीक्षण रिपोर्ट के परिणामों ने उपदर्शित किया कि अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन का नमूना ऊर्जा उपभोग मानक, सेवा मूल्य, आदि को पूरा करने में असफल रहा है और यह आपके द्वारा विनिर्मित/आयातित अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर लेबल लगाने की अनुज्ञा मांगने के लिए आपके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के साथ संलग्न प्ररूप-1 में आपके द्वारा प्रस्तुत परीक्षण व्यौरे के अनुरूप नहीं था। आपके प्राधिकृत संपर्क व्यक्ति के नाम पर व्यूरो के तारीख के पत्र संख्यांक के माध्यम से परीक्षा परिणाम आपको भेजे गए थे। आपको राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित प्रयोगशाला मैसर्स
5. दूसरे जांच सत्यापन परीक्षण के लिए नमूना तारीखको हमारे प्राधिकृत अभिकरण मैसर्सके माध्यम से उठाया गया था और राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड द्वारा प्रत्यायित हमारे प्राधिकृत अभिकरण मैसर्सद्वारा सम्यक रूप से मुहरवंद करके परिवहन करके प्रयोगशाला में भेजा गया था और सत्यापन अभिकरण के सम्यक रूप से प्राधिकृत प्रतिनिधि के साथ-साथ आपके प्रतिनिधियों के हस्ताक्षर के अधीनसे प्राप्त उक्त नमूने पर अंकित विशिष्ट पहचान क्रमांक दिया गया था।
6. दूसरी जांच के परीक्षण के परिणाम संलग्न हैं जिसकी राष्ट्रीय परीक्षण और अंशांकन प्रयोगशाला प्रत्यायन बोर्ड की प्रत्यातित प्रयोगशाला के सक्षम प्राधिकृत कार्मिक द्वारा सम्यक रूप से जाँच की गई है और उस पर प्रतिहस्ताक्षर किए गए हैं। दूसरे जांच परीक्षण के साक्षी के रूप में परीक्षण रिपोर्ट पर आपके प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षर भी किए गए हैं। परीक्षण के परिणाम इस बात की पृष्टि करते हैं कि वे तारीखकी का.आ. संमें दिए गए अपेक्षित मापदंडों और मानकों को पूरा करने और विनिर्मित/ आयातित और बाजार में वेचे गए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन पर चिपकाए गए लेवल पर विशिष्टियों के संप्रदर्शन जिसके लिए आपको अनुमति दी गई थी, के निबंधनों और शर्तों को पूरा करने में असफल रहे हैं।
7. अत: अब, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेवल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के खंड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, ब्यूरो निदेश देता है:-
 (i) अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक किया जाए या परीक्षण के दौरान पाई गई त्रुटियों और किमयों को दूर किया जाए; (ii) ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए वाजार से सभी स्टॉक वापस लिया जाए;

- (iii) विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों का परिवर्तन किया जाए।
- 8. आपको इस पत्र के जारी होने की तारीख से दो मास के भीतर उपर्युक्त सुधारात्मक कार्रवाई को पूरा करने और दो मास की समाप्ति के पश्चात् दस दिनों के भीतर प्ररूप 6 में अनुपालन रिपोर्ट भेजने के लिए निदेशित किया जाता है, अर्थात्............. यदि उक्त तारीख तक कोई अनुपालन रिपोर्ट प्राप्त नहीं होती है, तो ब्यूरो, ऊर्जादक्षताब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेवल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 केविनियम 11 केउप-विनियम (6) केखंड (ख) केअनुसार इन विनियमों के अधीन कार्रवाई करने के लिए आगे कदम उठाएगा।

9. ब्यूरो, ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेवल पर उनके संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम (5) (6) (7) और (8) के संदर्भ में मामले में आगे की कार्रवाई करेगा।

सचिव,

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

संलग्नक :

- 1. असफल मॉडल की परीक्ष रिपोर्ट
- 2. विनिर्माता के साथ पत्राचार

प्ररूप 7

की गई कार्रवाई रिपोर्ट

[विनियम 11 का उप-विनियम 6 देखें]

(संगठन के शीर्षनामा पर प्रस्तुत किया जाए)

•																
तारीख	•															
साराज	٠	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	٠

सेवा में,

सचिव.

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो

(विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार)

चौथी मंजिल, सेवा भवन,

सेक्टर 1, आर.के. पुरम,

नई दिल्ली-110 066

भारत

ऊर्जा	दक्षता ब	यूरो (अ	ल्ट्रा-हा	ई डेफिन्	नेशन टेर्ल	ोविजन	के लेब	ल पर	उनके '	संप्रदर्शन	ाकी	विशिष्टिय	ां और र्र	ोति)	विनियम,	2023	के
विनि	यम 7 के	उपबंध	ों के अन्	्सार, हम	म अल्ट्रा-ह	ाई डेपि	तिशन	टेलीवि	जिन वे	विनिम	र्गता ग	नैसर्स					.को
उर्जा	दक्षता	ब्यूरो	के	तारीख	के	पत्र	सं				द्वारा	मॉडल	संख्यां	ह			के
					उपभोग म												
•	गया था।						9	· ^								, ,	

ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर उनके संप्रदर्शन संप्रदर्शन की विशिष्टियां और रीति) विनियम, 2023 के विनियम 11 के उप-विनियम (5) के उपबंधों के अनुसार, हमें ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के तारीख.......... के पत्र संख्या.....के अधीन आवश्यक सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए निदेश दिए गए थे। ब्यूरो द्वारा जारी निदेश को देखते हुए, हम घोषणा करते हैं कि हमारी ओर से निम्नलिखित कार्रवाई की गई है।

	निदेशित कार्रवाई	प्रास्थिति	की गई कार्रवाई
(i)	ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए अल्ट्रा-हाई डेफिनिशन टेलीविजन के लेबल पर संप्रदर्शित स्टार स्तर को ठीक करें	हां/नहीं/लागू नहीं होता	स्टार स्तर को (तारीख) सेस्टार से सुधार करस्टार कर दिया गया है
(ii)	ब्यूरो के निर्देशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लें, और	हां/नहीं/लागू नहीं होता	ब्यूरो के निदेशों का पालन करने के लिए बाजार से सभी स्टॉक वापस ले लिए गए हैं।
(iii)	विज्ञापन सामग्री पर संप्रदर्शित विशिष्टियों का परिवर्तन कर बदल दें।	हां/नहीं/लागू नहीं होता	हां/नहीं/लागू नहीं होता

उपर्युक्त घोषणा हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर	
नाम	
पदनाम	
कृते और की ओर से	
कंपनी/फर्म आदि का नाग	T
फर्म/कंपनी की मुह	र

THE BUREAU OF ENERGY EFFICIENCY NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd March, 2023

No. BEE/S&L/UHD/02/2022-23.-Whereas the draft regulations namely, the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Ultra-High Definition Televisions) Regulation, 2023, were published vide notification number BEE/S&L/UHD/02/2022-23 as required under sub-section (1) of section 58 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), inviting objections or suggestions from persons likely to be affected thereby within the specified period of thirty days from the date of publication of the said notification in the Official Gazette;

And whereas copies of the said draft regulations were made available to the public on 01st August, 2022;

And whereas suggestions have been received with respect to the said draft regulations within the period aforesaid;

And whereas the suggestions received in this regard have been taken into consideration;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by clause (i) of sub-section (2) of section 58 read with clause (n) of sub-section (2) of section 13 and clause (d) of section 14 of the Energy Conservation Act, 2001 (52 of 2001), the Bureau, with the previous approval of the Central Government, hereby makes the following regulations, namely:-

- 1. Short title and commencement.—(1) These regulations may be called the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Ultra-High Definition Televisions) Regulations, 2023.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. **Definition.-**(1) In these regulations, unless the context otherwise requires,-
 - (a) "Act" means the Energy Conservation Act, 2001(52 of 2001);
 - (b) "Form" means a form appended to these regulations;
 - (c) "label" means any written, printed, marked, stamped or graphic matter affixed to, or appearing upon, Ultra-High Definition televisions;
 - (d) "label period" means the validity period of the annual energy consumption under energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 and in case the end period of the validity period of the annual energy consumption is not notified, it shall be deemed to be valid until new values for the same are notified by the Central Government;
 - (e) "models or family of models" means the model or range of models of one particular brand, to which a single set of test reports is applicable and where each of the models has the same physical characteristics, annual energy consumption, energy efficiency rating and performance characteristics;
 - (f) "permittee" means a person or agency to whom permission has been granted to affix label under regulation 7;
 - (g) "star rating or star level" means the grade of energy efficiency displayed on the label of the Ultra-High Definition television based on energy consumption standard notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act to denote the annual energy performance of Ultra-High Definition televisions;
 - (h) "trader or seller" in relation to any labelled Ultra-High Definition television means a person who sells or distributes any such Ultra-High Definition television and includes the shopkeeper, trader, manufacturer and permittee who has been given permission to affix label on such Ultra-High Definition television.

- (i) "Ultra-High Definition television" means an appliance as specified in the clause (a) of notification 14(b) of Ultra-High Definition Television;
- (2) Words and expressions used herein and not defined, but defined in the Act, shall have meanings respectively assigned to them in the Act.
- **3. Particulars to be displayed on label.-**(1) On every Ultra-High Definition television, the following particulars shall be displayed on its label, namely:-
 - (a) the logo of the Bureau of Energy Efficiency;
 - (b) equipment Type;
 - (c) brand;
 - (d) model number and year of manufacturing or import;
 - (e) screen size in centimetre (screen size measured diagonally across the screen in centimetre);
 - (f) annual energy consumption in kWh per year;
 - (g) unique series code;
 - (h) star level; and
 - (i) label period.
 - (2) The design, colour, size and content of label shall be as specified in the Schedule annexed to these regulations.
- **4.** Time limit for display of labels.-(1) Transition from Voluntary to Mandatory regime.- A label containing all the particulars specified in regulation 3 shall be displayed on every Ultra-High Definition television within a period of six months from the date of coming into force of these regulations.
 - (2) On and from commencement of revised energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, every permittee or trader or seller,-
 - (a) shall not produce the Ultra-High Definition television with the previous energy consumption standards;
 - (b) the Ultra-High Definition television shall display revised star level and label period with the revised energy consumption standard and the manufacturing year of the Ultra-High Definition television in synchronisation with revised energy consumption standards;
 - (c) all preparatory steps including awareness of the dealers, retailers, requisite publicity for their education as well as for the education of the consumers are well planned and action taken in advance.
- **5. Manner of display of label.-** (1) The label shall be affixed at the front display of the unit and should be easily visible as referred in sub-regulation (2) of regulation 3 and the permittee shall ensure that the label appears on every registered unit or model on display for identification purpose, at point of sale or hire and the label shall also be printed or pasted to the exterior to the packaging box containing the unit or model.
 - (2) For units not on display, the label may be printed or pasted to the exterior of the casing of the Ultra-High Definition television and the label may be attached to the unit or model when the unit or model is removed from its packaging or the label may be included as a part of the documentation given to the customer or user.
- **6. Permission for display of label.-** (1) No star label shall be affixed on a Ultra-High Definition television without obtaining the prior permission of the Bureau.
 - (2) Company registration.- For the purposes of obtaining permission of the Bureau, every brand shall be registered separately as specified in Form I (A), accompanied by a label security fee of one lakh rupees, payable by electronic of payment:

Provided that in case of small scale industry, the label security fee shall be twenty five thousand rupees only.

- (3) Model registration. Every application of the permittee under sub-regulation (2) shall be accompanied by—
 - (a) an application fee of two thousand rupees per model, payable by electronic mode of payment; and
 - (b)a label security fee of one lakh rupees, payable in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi;by any acceptable electronic mode of payment;
 - (c) documents specified in Form I (B).
- 7. Grant of permission.- (1) On receipt of an application under regulation 6 and after being satisfied that all requirements therein are complied with, the Bureau may, within a period as specified in its Manual on standards and

labeling namely Disseminating Star Labeling in Household Appliance, subject to such terms and conditions as specified in regulation 8, -

- (a) register the brand in Form II-(A) in electronic form; and
- (b) grant permission for affixing label on Ultra-High Definition television in Form II-(B) in electronic form.
- (2) The Bureau shall maintain a register in Form III and enter the name of permittee therein.
- (3) The permission so granted under sub-regulation (1) shall be valid for such period till which the star level specified by the energy consumption standard as notified by the Central Government under clause (a) of section 14 is in force.
- (4) In case of revision of star rating plan, an application for renewal of permission shall be made by the permittee not later than one month before its expiry and shall be accompanied by a fee of rupees one thousand payable in electronic mode in favour of the Bureau of Energy Efficiency, New Delhi.
 - Provided that in case of extension of star rating plan, the said renewal fee of rupees one thousand shall be exempted.
- (5) No application shall be renewed after expiry of validity period, in which case the permittee shall make a fresh application.
- (6) On receipt of application for renewal under sub-regulation (4) and after being satisfied that all requirements are complied with, the Bureau may, within a period of one month from the date of such receipt, renew permission in Form II.
- (7) The permittee who seeks permission for continuance to affix label on the existing model of the Ultra-High Definition television from the date from which the revised star level comes into force shall submit a declaration according to Form IV.
- (8) The permittee shall seek permission to affix a label afresh, if a new model of the Ultra-High Definition television is to be launched synchronising with the revised star level, and application for such permission shall be made six months in advance of coming into force of the revised star level.
- **8.** Terms and conditions for display of particulars on label. Every permittee, trader and seller shall comply with the following terms and conditions in displaying the particulars on label, namely:-
 - (a) the star level displayed on the label of Ultra-High Definition television shall conform to energy consumption standards for Ultra-High Definition television notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act;
 - (b) the label shall be affixed only on such model of Ultra-High Definition television for which permission has been granted;
 - (c) the label shall be printed and affixed on the Ultra-High Definition television at the cost of the permittee;
 - (d) the permittee, trader and seller shall ensure that the star level displayed on the label of Ultra-High Definition television shall be maintained at all time;
 - (e) the permittee shall pay the label fee as specified in regulation 9;
 - (f) the permittee shall furnish to the Bureau a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labeling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year;
 - (g) the permittee shall furnish to the Bureau an updated list of authorised distributors, dealers, retailers, sellers appointed to sell their labelled products by 30th day of April of each year;
 - (h) the permittee, trader and seller shall comply with such other terms and conditions which the Bureau may specify including those contained in the Bureau'sManual on standards and labeling namely Disseminating Star Labeling in Household Appliance.
- **9. Label fee.-** (1) Every permittee shall pay to the Bureau a label fee of thirty rupees for each label affixed on the Ultra-High Definition television.
- (2) The label fee specified under sub-regulation (1) shall be paid annually within one month from the date of closure of each financial year:

Provided that on failure to pay the label fee within the period so specified, the Bureau may recover the amount due with interest thereon at ten per cent.per annum from the label security deposit made under clause (b) of sub regulation (3) of regulation 6 and if complete labeling fees are not recovered within one year of the last date of submission and

the Bureau may cancel all labels granted to the permittee and publish the name of the permittee in the newspapers as a defaulter

- **10. Refund of label security deposit.** Subject to the provisions of sub-regulation (2) of regulation 9, a permittee shall be entitled to a refund of the label security fee, on ceasing to manufacture Ultra-High Definition television.
- 11. Verification by Bureau.-(1) The Bureau or its designated agency may, either suomotu, or on a complaint received by it, carry out verification to ensure that the Ultra-High Definition television conforms to the star level and other particulars displayed on its label and that it complies with the other terms and conditions of permission.
 - (2) For the purpose of verification, samples shall be picked up at random by the Bureau or its designated agency from the manufacturing facility, warehouse or the retail outlet as it deems fit.
 - (3) Where, upon a complaint received under sub-regulation (1), the Bureau is required to carry out verification by challenge testing the Ultra-High Definition television in an independent laboratory duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories, and a notice shall be issued to the permittee in Form V for carrying out such testing and the complainant shall be called upon to deposit and such expenses relating to sample cost, testing, transportation and other incidental expenses with the Bureau, within such time, as may be determined by Bureau and if the sample drawn under challenge testing fails, all expenses as specified shall be reimbursed by the permittee to the Bureau and the Bureau shall refund the aforesaid expenses to the complainant; and where the equipment passes the challenge test, then the expenses deposited by the complainant shall stand forfeited.
 - (4) Where a sample of Ultra-High Definition television used for testing fails the test during suomotu testing or challenge testing, the permitee shall be afforded another opportunity and the Bureau shall conduct a second test with twice the quantity of Ultra-High Definition television used in the first test, in an independent test laboratory which is different from the lab where the first check testing was conducted and shall be duly accredited by the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories at the cost of the permittee. Provided that the Bureau shall intimate the permittee in Form V to witness the challenge testing referred to in sub-regulation (3) or the second test referred to in sub-regulation (4) and the expenses to be made towards the procurement and testing of sample.
 - (5) Where the second test fails, the Bureau shall,—
 - (a) direct the permittee in Form VI, under intimation to all the State Designated Agencies, that the permittee within a period of two months,-
 - (i) correct the star level displayed on the label of the Ultra-High Definition television or remove the defects and deficiencies found during testing;
 - (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau; and
 - (iii) change the particulars displayed on advertising material;
 - (b) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any electronic means or in any other manner as it deems fit, within two months;
 - (c) Intimate to the concerned State Designated Agency to initiate adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
 - (6) The permittee shall, within ten days of the conclusion of the period of two months referred to in sub-regulation(5),-
 - (a) send the compliance report in Form VII to the Bureau with respect to action taken in compliance with the direction.
 - (b) in case the compliance report referred to in clause (a) is not received or received without complying to any of the direction within the specified period, it shall be deemed as non-compliance of the direction issued and orders to that effect shall be passed by the Bureau.
 - (5) The Bureau shall send the compliance report referred to in clause (a) and orders passed in clause (b) of sub-regulation (6) along with necessary documents to all the State Designated Agencies for the purpose of taking action under section 17 and enforcement of order passed under clause (b) of the said sub-regulation.
 - (6) Where the permittee fails to comply with the directions issued by the Bureau under sub-regulation (5), the Bureau under intimation to all State Designated Agencies, shall,-
 - (a) withdraw the permission granted to the permittee under sub-regulation (1) of regulation 7;

- (b) send report to the Central Government accompanied by the test report in support of the failure by the permittee to conform to the energy consumption standards notified by the Central Government under clause (a) of section 14 of the Act, the directions of the Bureau referred in clause (a) of sub-regulation (6) for consideration and for taking action under clause (c) of section 14 of the Act by the Central Government;
- (c) publish for the benefit of the consumers, the name of any permittee, brand name, model name or model number, logo and other specification in any national or regional daily newspaper and in any electronic or in any other manner as it deems fit within two months; and
- (d) intimate to the concerned State Designated Agencies to initiate further adjudication proceedings against the permittee and the trader under section 27 of the Act.
- 12. Cancellation of permission.-The Bureau may cancel the permission granted under regulation 7, if the permittee —a) fails to comply with any of the terms and conditions specified under regulation 8;
 - (b) fails to pay label fee within the period specified under regulation 9;
 - (c) does not comply with the direction issued under regulation 11; and
 - (d) provided that no permittee shall be cancelled unless the permittee has been given an opportunity being heard in the matter.


SCHEDULE

[See regulation 3 (2)]

Particulars to be displayed on labels of UHD television.

(1.) Label design,-

(i) Dimension:



(ii) Colour scheme:



(iii) Colour scheme of Bureau of Energy Efficiency logo:

Blue –

Hue(H)-239° Saturation(S):64% Brightness(B):59%

Luminance or lightness(L):28, chromatic components -a:24 b:54

Red(R):54 Green(G):55 Blue(B):151

Cyan(C):97% Magenta(M):95% Yellow(Y):6% Black(K):1%

Web colour code - #363797

Green -

Hue(H)-150° Saturation(S):10% Brightness(B):67%

Luminance or lightness(L):61, chromatic components -a:-53 b:32

Red(R):0 Green(G):170 Blue(B):87

Cyan(C):81% Magenta(M):10% Yellow(Y):90% Black(K):1%

Web colour code - #00AA56

(iv) The complete specimen of a printed label for UHD television:



(2) Label material

The label shall be of durable cardboard, if it is to be attached as a swing tag, or be self-adhesive and shall be cut to one of the outlines shown in dimension design scheme for the label.

FORM I - (A)

[See regulation 6 (2)]

(To be printed in Company letter head)

Application for registration of brand of Ultra-High Definition Television under the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition Televisions) Regulations, 2023

The Director General

Bureau of Energy Efficiency,

(Ministry of Power, Government of India)

4th Floor, Sewa Bhawan,

Sector-I, R.K. Puram,

New Delhi - 110066, India.

- The details of the information in respect of the equipment, company, manufacturing facility and payment is given
 in Annexure. A photocopy of the certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies or
 Director of Industries (in case of Small-Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the
 firm and its manufacturing premises is enclosed.
 - (a) Applicant or Authorised person:(Name and designation) is authorised to make this application on behalf of the company/firm or other authorities and will be responsible for accuracy of the information supplied with this application.

 - (a) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above.
 - 3. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	Maximum Retail Price of the equipment (Rs.)
Last Year fromto			
Current Year fromto(estimate)			

- 4. A label security fee of one lakh rupees or twenty-five thousand rupees as the case may be......has been paid by Demand Draft No. dated...../electronic mode (To be filled only at the time of submission of label security fee).
- 5. I/We agree to pay the labelling fee as specified by the Bureau.
- 6. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 7. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 8. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejected forthwith.

Dated this	Dav	v of	(\	76	ear

Signature
Name
Designation
For and on behalf of(Name of the firm) / SEAL OF FIRM

ABHAY BAKRE, Director General, [ADVT.-III/4/Exty./680/2022-23]

Annexure

[See para 2 of Form I- (A)]

1. Details of the Company

Name of the company	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
Enclosures to support registration:	Yes/No
(a) Document authenticating the name and address of the	
manufacturing or businesspremises	
(b) Trade markcertificate	
(c) Small scale industries Certificate, ifapplicable	
(d) Quality Management SystemCertificate	
(e) Authorised signatoryletter	
(f) Bureau of Indian standards license, ifapplicable	
(g) Demand Draft (security deposit)/ payment receipt in	
case payment is made online	

2. Details of the manufacturing premise (a separate table may be provided in case of more than one manufacturing facility)

Na	Name of the manufacturing facility	
Ad	Address	
Pin	Pin code	
Sta	State / Country	
Pho	Phone number	
Fax	Fax number	
E-r	E-mail	
We	Website	
An	Any other details (if any)	
Date Signat	ignature	Name Designation For and on behalf of (Name of the firm) SEAL OF FIRM
		SEAL OF FIRM
	FORM I-(B)	
	[See regulation 6]	
E	Application for permission to affix label on Ultra-High Definition Tele Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Regulations, 2023	
T	The Director General	
В	Bureau of Energy Efficiency,	
(1	(Ministry of Power, Government of India)	
4 ¹	4 th Floor, Sewa Bhawan,	
S	Sector-I, R.K. Puram,	
N	New Delhi - 110066	
Ir	India.	
1.	1. I/We am/are the registered manufacturers or importers of Ultra-Hig business at	h Definition televisioncarrying out
	(full business address) under the style of (full name for permission to affix label on UHD Television as specified by the Bur (Particulars and Manner of their Display of Label on Ultra-High Definition	reau in Bureau of Energy Efficiency
2.	2. Manufacturing Facility: The above equipment is manufactured orimported of the company) and ismanufacturedat	
3.	3. Details of information: The details of the information in respect of the facility, certification for the test products, labels and payment is give certificate of incorporation issued by the Registrar of Firms or Societies	n in Annexure. A photocopy of the

Small Scale Units) or similar other documents authenticating the name of the firm and its manufacturing

premises is enclosed.

- (a) Applicant/authorised person:(Name and Designation) is authorized to make this application on behalf of the company/firm/etc., and will be responsible for accuracy and authenticity of the information supplied with this application.
- (c) I/We undertake to intimate to the Bureau of any change in the authorised persons defined in (a) or (b) above.

Laboratory details:

- (a) Accreditation Board:
- (b) Accreditationstatus:
 - (i) For laboratory: (yes/no)
 - (ii) For Test Standards: (Specify relevant product standard name/number)
- (c) Bureau of Energy Efficiency approval:
- 5. Production and sales figures of the said equipment and the value thereof to the best of my/our knowledge and estimates are as follows:

Year	Production	Sales	MRP of the equipment (Rs.)
Last year from To			
Current year from			
To (estimate)			

- 6. (a) An application fee of two thousand rupees paid by electronic mode.
 - (b)A Label security fee of one lakh rupees or twenty five thousand rupeeshas been paid by electronic mode.
 - (c) I/We agree to pay the labelling fee as specified by theBureau.
- 7. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made byit.
- I/We authorise the Bureau for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 9. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my knowledge, and if any of the information supplied is found to be incorrect; the application may be rejectedforthwith.

4			THE	GAZETTE OF	FINDIA : EX	ΓRAORI	DINARY		[PART III—S	SEC.4]
Date	d this	Day o	of	(Year)						
									Yours Fai	thfully,
	Signature									
Name										
	Designation (Name ofthefirm)									
)
								Se	al of theFirm	ı
					Annexuro	e				
				[See]	para 3 of For	m I- (B)]				
				De	etails of Inform	mation				
roduct	/Equipmen	t Detail								
1.1	General (C	omplete th	ne details a	sapplicable)						
	Appliance	and Type								
	Brand Nan	ne								
-	Model Nar	ne and Nu	mber							
	Screen Siz	e (centime	etre)							
-	Screen Are	ea (sq. cen	timetre)							
L	Voltage/Vo									
L	Year of Ma									
-										
			ils (if any)							
	(Attach co		icense / ce	rtificate)						
	Star ratin	g								
1. Sl.		al Specific	:	nplete the deta	ails asapplical	ole)	Dec	lared Values		Remark
No.	Name/ No.									
		Screen Size (cm)	Screen Area (sq.cm.)	Energy Consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level Measured	Screen Size (cm)	Screen Area (sq.cm.)	Energy Consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level	
2. I	Details of t	est labora	torv							
	ne of the tes									
	editation st		-			Yes/No				
		or laborato	rv							

गाग Ⅲ—खण्ड 4] भारत का राजपत्र	ि: असाधारण 33
(ii) For relevant standards	
(Attach copy of the accreditation certificate)	
-	
Validity of the accreditation (Attach supporting document)	
Address	
Pin code	
State	
Phone number	
Fax number	
E-mail	
Website	
3. Labelling information	
Date of commencement	
Number of labels applied for Bureau of energy efficiency	,
a) for the first year-	
b) for the second year-	
c) for the third year-	
Product serial No.	FromTo
4. ModelDetails:	
Model or family of models (if applicable)	Model name/model number
Base model	
Child models	
5. Specimen of the label to be affixed on the Ultra-H	igh Definition television is shown below:
(Annex separate specimen for family of models (ifap	
(Lamera Spanner Spanner)	F
A	Brand : XX



Annual Energy Consumption (kWh/Year)

Model No. /Year : ABC / XXXX Equipment Type: Ultra HD / 4K TV Screen Size: Centimetre

277*

"Under test conditions when tested in accordance to IEC 62087. Actual energy consumption will depend on how the equipment is used.



Date	
	Signature
	Name
	Designation

For and on behalfof.....

		(Name of the firm)
		Seal of the Firm
		FORM II – (A)
		[See regulation 7 (1) (a)]
Eff		registration of brand of Ultra-High Definition television under the Bureau of Energy rticulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions)
·	,	New Delhi, dated
To		
1.	Manne	ant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and er of their Display on Labels of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023, the a hereby permits you to register your brand as per details of approvals set out in Annexure to etter.
2.	This per	rmission is subjectto—
	(a)	the star level displayed on the label of the Ultra-High Definition television shall conform to energy consumption standards for Ultra-High Definition television notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaidregulations;
	(b)	the stamping of the label only on such model of Ultra-High Definition television for which permission has been granted;
	(c)	the printing and affixture of the label on the Ultra-High Definition television at the cost
		of thepermittee;
	(d)	the permittee ensuring that the star level displayed on the Ultra-High Definition television shall be maintained at alltime;
	(e)	the permittee paying the label fee as specified by the Bureau;
	(f)	the permittee furnishing to the Bureau a statement containing details of the production of the labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau also through an automated system;
	(g)	the permittee making available such other details of Ultra-High Definition television as and when sought by the Bureau of which the permission has been granted.
3.		ttee shall not withdraw the registered brand and the Ultra-High Definition television from the ing the validity period except with the prior approval of the Bureau.
4.		e label series code assigned by the Bureau of Energy Efficiency for the brand is and ear on the label as per the approved design.
5.	Signed, sea	aled and dated this dayof month year.
		Yours faithfully
		(Secretary)
		Bureau of Energy Efficiency

Annexure

[See para 1 of Form II-(A)]

Details of Approvals

N	ame of the company	
Α	ddress	
P	in code	
St	tate	
P	hone number	
F	ax number	
Е	-mail	
W	Vebsite	
1. 2. 3.	. Unique seriescode:	
Date		Yours faithfully (Secretary) Bureau of Energy Efficiency
	FORM II – (B)	
	[See regulation 7 (1)	(b)]
	Permission/renewal of permission to affix label on Ultra- Energy Efficiency (Particulars and Manner of their televisions) Regulations, 2023	
		New Delhi, dated
	То	
1.	Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Manner of their Display on Label of Ultra-High Defini	

- hereby permits you to affix label as per details of approvals set out in the Annexure to thisletter.
- 2. This permission is subject to the condition that
 - the star level displayed on the label of the Ultra-High Definition television shall conform to energy consumption standard for Ultra-High Definition television notified under clause (a) of section 14 of the Act and terms and conditions provided in the aforesaidregulations;
 - the label shall be affixed only on such model of Ultra-High Definition television for which permission has been granted;
 - the label shall be printed and affixed on the Ultra-High Definition television at the cost of thepermittee; (c)
 - the permittee shall ensure that the star level displayed on the Ultra-High Definition television shall

be maintained at all time;

- (e) the permittee shall pay the label fee of thirty rupees perlabel;
- (f) the permittee shall furnish to the Bureau, a statement containing details of production of labelled equipment and the accrued labelling fee due for each quarter within the following month of the close of each quarter of the financial year. The same details shall be furnished to the Bureau through automated system;
- (g) the permittee shall make available such other details of Ultra-High Definition television as and when sought by the Bureau for which the permission has been granted.
- 3. This permission shall be valid with effectfrom......toand may be renewed as prescribed. The permittee shall not withdraw the Ultra-High Definition television from the market during the validity period of permission except with the prior approval of the Bureau.
- 4. The unique label series code assigned by the Bureau for the equipment isand should appear on the label as per the approved design.
- 5. Where the star level plans on review is modified by the Central Government, the star level of the UHD Television shall stand modified as follows:-

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Annexure

[See para 1 of Form II]

Details of Approvals

1. Details of the equipment

Appliance and Type		
Brand Name		
Model Name / Number		
Screen Size (centimetre)		
Screen Area (sq. centimetre)		
Voltage/Voltage Range (V)		
Year of Manufacturing		

Technical Specification:


Sl. No.	Model Name/ No.	Measured	Values			Declare	d Values				Remarks
		Screen Size (cm)	Screen Area (sq.cm.)	Energy Consumption (kWh/Year)	Star Level or Energy Efficiency Level Measured	Screen Size (cm)	Screen Area (sq.cm	Const	y imption /Year)	Star Level or Energy Efficiency Level	
							•				

2. Label Details

Appliance and Type	
Name of the manufacturer/importer/Brand	
Model Name/Number	
Star level	
Screen Size (cm)	
Screen Area (sq.cm.)	
Year of Manufacturing	
Energy Consumption (kWh/Year)	
Unique Series Code	
Label Period	

- 3. The label design, size, colour scheme, material to be used for the label and the content of the label and colour scheme of the Bureau's logo shall be as specified in the Schedule.
- 4. Specimen of the label duly approved by the Bureau to be affixed on the Ultra-High Definition television is shown below.

Label of Ultra-High Definition television (Under item no. 3 of Annexure to form II, the following sample label shall be substituted):





The unique label series code provided in the letter has	to be mentioned in the label affixed on the UHD television.
Date	
	Signature
	Name
	Designation
	For and on behalf of
	(Name of the firm)

FORM III

[See sub-regulation (2) of regulation 7]

Register of permittee to be maintained by the Bureau of Energy Efficiency(template)

S.	Application	Name and	Details of	Star level or	BEE	Period for which the
No.	number and Date	details of the	equipment for	efficiency	permission	permission has been granted
	of Permission	permittee	which the	level declared	number and	
		(Contact	permission has		unique label	
		Person,	been granted		series	
		Address, Pin				
		Code, State,				
		PhoneNo.,				
		Fax No., E-				
		mail,				
		Website)				
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)

	Amount of label security fee	Label security deposit received by (Electronic transaction (Details): Date:)	Amount of Application Fees received	Details of Application Fees Amount received (Electronic transaction (Details) : Date :)		
	(8)	(9)	(10)	(11)		
Ī						

Total number of labels affixed during each financial year	Amount of labelling fee payable to BEE for each financial year	Labelling fee details received for each financial year (Electronic transaction (Details): Date:)	Remarks
(12)	(13)	(14)	(15)

Form IV

[See sub-regulation (7) of regulation 7]

Declaration by permittee seeking continuation of the permission to affix label on the existing model (For each different model, a separate letter shall be submitted along with respective Annexure)

(On the letter head of corporate body / Permittee)

Date:	

To

The Director General
Bureau of Energy Efficiency
(Ministry of Power, Government of India)
4th Floor, Sewa Bhawan,
Sector 1, R.K.Puram,

New Delhi-110 066

India.

Sub: Application for permission to affix label vide Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023 on revision of star level effective from

- **2.** The above equipment is manufactured or imported by [FULL NAME OF INDIVIDUAL OR FIRM] and is manufactured at (NAME AND ADDRESS OF FACTORY) or imported from (NAME AND ADDRESS OF IMPORTER);
- 3. Conformance to New star level: I/We conform to the table change as per Tableas specified in the notification no. S.O. numberdated.....for UHD television. A copy of the Bureau's approval in respect of the above equipment (which was earlier approved) is enclosed.

A copy of the Bureau of Energy Efficiency Label (as per revision of star level change) in respect of the UHD television is enclosed.

5. Details of the Equipment / Model as per revision of star level

١	Л	n	h	el	N	a	m	e	_

Particulars	Decl	ared Values
Screen Size (cm)		
Screen Area (sq.cm.)		
Annual Electricity Consumption (kWh/year)		
Star Rating	(As per existing star level)	(As per the revised star level)

- 6. I/We agree to change the star level from [EXISTING STAR LABEL LEVEL] To [REVISED STAR LABEL LEVEL] in manual application as well as in the online web portal.
- 7. I have submitted my quarterly production data and labelling fee till date for the said Ultra-High Definition television model.
- 8. I/We agree to abide by all the terms and conditions specified by the Bureau and extend necessary assistance/cooperation to the Bureau in case of any enquiry to be made by it.
- 9. I/We authorise the Bureau of Energy Efficiency for selection of sample for verification and challenge testing and agree to abide by the directions of the Bureau in this regard.
- 10. I/We undertake that the information supplied in this application is accurate to the best of my/our knowledge, and should any of the information supplied is found to be incorrect, the application may be rejected forthwith.

Date:

Day of (Year)	
Signature	
Name	٠.
Designation	
For and on behalf of	
(Name of the firm	ı)

(Name of the firm)

SEAL OF FIRM

FORM V

[See regulation 11 (3)]

Intimation to permittee to witness Challenge test/Second test

New Delhi, datedthe.....

То	

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023 you were permitted to affix label on the Ultra-High Definition television vide Bureau of Energy Efficiency letter No......dated subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

- 2. The Bureau, under regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations 2023, had purchased a Bureau of Energy Efficiency star labelled Ultra-High Definition television from your authorized distributor/dealer/retailer vide Invoice numberdated...... for a price of Rs......and lifted as a sample dated by........for the purpose of suo motu testing or challenge testing. The samples were purchased by M/s....., an agency appointed by the Bureau for verification of the particulars displayed on the label under regulation 3 of the aforesaid regulations, affixed by you on the aforesaid purchased Ultra-High Definition television. The sample duly sealed by M/s...... bearing serial number------ was obtained from M/s......(Name of the Distributor, dealer, retailer) under signatures of the duly authorized representative of the verification agency.
- 3. The Bureau through its aforesaid verification agency had transported the sample referred to in para 2 toM/s......, a National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory for conducting tests in accordance with the test procedure indicated in paragraphs 3, 4 and 5 of the notification numbers.O.........dated.......for giving test report in accordance with the Form given in Annexure to the notification numbers.O.
- 4. The details of the product and the *suomotu*test results (if applicable) is enclosed with this letter. Now, therefore in pursuance of the provisions of sub-regulation (1) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations 2023, the Bureau is conducting *suomotu*test/challenge test (as applicable) on(date) at(Name of laboratory), accredited by National Accreditation Board for Testing and CalibrationLaboratories.
- 5. Pursuant to the provisions of sub-regulation (4) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations 2023, the Bureau hereby intimates to-
 - (i) nominate an official to witness challenge test/second test on the above date specified along with an authorization letter indicating (in original) the name, designation and signature of the nominated official (the letter shall be duly signed and stamped by authorized signatory of thecompany).
 - (ii) deposit such cost towards procurement, transportation, testing and other incidental expenses as mentioned in Annexure, within fifteen days from the date of issuance of this letter (the expenses shall be deposited through electronic mode).
- 6. You may note that the Bureau shall continue the verification by challenge test or second test, even if the aforementioned expenses are not made in time or the officials are not nominated as specified and shall take further follow up action in the matter in terms of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions) Regulations2023.

7	Signed	sealed	and d	lated tl	nis	dayof	month	vea

Yours faithfully

(Secretary)

Bureau of Energy Efficiency

Enclosures:

- 1. Details of product/ suomotutestresults
- 2. AnnexureV(a)
- 3. Invoice related to the expenses

Annexure

[See para 5 of Form V] Details of Information

1. Product/Equipment Detail

Appliance and Type
Brand Name
Model Name and Number
Screen Size (cm.)
Screen Area (sq. cm.)
Voltage/Voltage Range (V)
Year of Manufacturing
BIS certificate details (if any)
(Attach copy of the license / certificate)
Star rating or star level
Unique label series code

2. Amount to be deposited to the Bureau:

Details	Numbers/ expenses (in Indian Rupee)
Number of samples	
Cost per sample	
Total purchasing cost	
Total testing charges	
Transportation charges (if applicable)	
Others (if applicable)	
Total amount to be paid by the permittee	

3. Results of *suomoto*test (ifapplicable):

Brand	Model	Rated annual energy consumption (kWh/year)	Screen area(sq. cm.)	Star rating (Declared)	Star rating (Check tested)	Remarks

Date								

Yours faithfully
(Secretary)
Bureau of Energy Efficiency

FORM VI

[See sub-regulation (5) of regulation 11]

Direction to permittee on failure of second check testing

Pursuant to the provisions of regulation 7 of the Bureau of Energy Efficiency (**Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition televisions**) Regulations, 2023 you were permitted to affix label on the UHD television vide Bureau of Energy Efficiency letter No.dated....... subject to the compliance of the terms and conditions specified therein.

- 4. The results of the test report of the sample bearing unique identification serial number....... is enclosed. The results of the test report indicated that the sample of Ultra-High Definition television failed to meet the energy consumption standard, service value, etc. and did not conform to the test details furnished by you in Form I annexed to the application submitted by you for seeking permission to affix label on the UHD television manufactured/imported by you. The test results were sent to you vide the Bureau's letter No.......dated.......in the name of your authorized contact person. You were also required to attend and witness the Second Check Verification Test of the samples at the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories Accredited Laboratory M/s......
- 6. The test results of second check testing are enclosed which are duly checked and counter signed by the competent authorized personnel of the National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories accredited laboratory. The test report is also duly signed by your authorized signatory as witness of second check testing. The test results confirm that they failed to meet the requisite parameters and standards given in S.O. number....dated,and the terms and conditions of the permission given to you for display of particulars on label affixed to the Ultra-High Definition television manufactured/imported and sold in the market.
- 7. Now, therefore in exercise of the power conferred by clause (a)of sub-regulation (5) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Labels of Ultra-High Definition televisions) Regulations, 2023, the Bureau hereby directs to:-
- (i) correct the star level displayed on the label of the Ultra-High Definition television or remove the defects and deficiencies found during testing;
- (ii) withdraw all the stocks from the market to comply with the directions of the Bureau;
- (iii) change the particulars displayed on advertising material.

[भाग III $_$ खण्ड 4] भारत का राजपत्र : असाधारण 45

9. The Bureau shall take further follow up action in the matter in terms of regulations (5) (6) (7) and (8) of regulation 11 of the Bureau of Energy Efficiency (Particulars and Manner of their Display on Label of Ultra-High Definition Televisions) Regulations, 2023.

Secretary,

Bureau of Energy Efficiency

			Bureau of Energy Efficiency
	osures:		
	Test reports of the failed model		
2	2. 2. Correspondence with the manufactu		
		Form VII Action Taken Repor	
	[S ₀	b-regulation 6 of regulation	
	-	ed on letter head of the	_
	(10 be furnish	icu on ictici neau oi ti	Date:
To			
The S	Secretary,		
Burea	au of Energy Efficiency		
(Min	istry of Power, Government of India)		
4th F	loor, Sewa Bhawan,		
Secto	or 1, R.K.Puram,		
New	Delhi-110 066		
India			
Pursi on		e Bureau of Energy Eff Definition television	ficiency (Particulars and Manner of their Display ons) Regulations, 2023, we
			turer of Ultra-High Definition television were
			forming to the energy consumption standard of
	star level vide Bureau of Endoer	ergy Efficiency lette	er Nodatedfor the model
		5) of regulation 11 of t	he Bureau of Energy Efficiency (Particulars and
			ns) Regulations, 2023, we were given directions
			to take necessary corrective action. In the
light	*		owing actions have been taken at our end.
(;)	Action Directed	Status Vac/Na/NA	Action Taken
(i)	Correct the star level displayed on the label of the UHD television to comply	Yes/No/NA	The star level has been corrected fromstar tostar with
	with the directions of the Bureau		effect from (Date)
(ii)	Withdraw all the stocks from the	Yes/No/NA	All the stocks from the market have been
	market to comply with the directions		withdrawn to comply with the directions of
····	of the Bureau.	T. D. D.	the Bureau.
(iii)	Change the particulars displayed on advertising material.	Yes/No/NA	Yes/No/NA
The a	above declaration is true to the best of our	knowledge and belief	
THE	bove declaration is true to the best of our	knowledge and belief.	Signatura
			Signature
			Name
			Designation
			For and on behalf of
			Name of the Company/Firm
			Seal of the Firm/Company
			•
	*** 1 111 5 05 1 1 0	07 11 D D1	D 114 : 11 D 11: 110064